# The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

NIT II— 408 3—24-408 (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ei. 145]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 1995/बैज 10, 1917

No. 145]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 1995/CHAITRA 10, 1917

कल्याण मंत्रालय

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1995

सा. का. ति. 316 (अ). — केन्द्रीय सरकार, धनुसूचित जाति धौर धनुसूचित जनजाति (धत्याचार निवारण) धिव-निवम, 1989 (1989 का 33) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, धर्यात:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्या-चार निवारण) नियम, 1995 है।
- (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  2. परिभाषाएं:— इन नियमों में, जब तक कि संवर्भ से अन्यथा अपेक्षित न ही—,
  - (क) "श्रिधिनियम" से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) श्रिधिनियम, 1989 (1989 का 33) श्रिभिन्नेत है;
  - (ख) "भ्रान्तित" में, इसके व्याकरणिक रूपभेद और सजातीय पदों के साथ, पत्नी, बालक वाहे विवाहित हों या भ्रविवाहित, भ्रान्तित माता-पिता, विधवा बहन तथा भ्रत्याचार के पीड़ित पूर्वमृत पुत्र की विधवा भ्रौर बालक सम्मिलित हैं;

- (ग) "परिलक्षित क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र प्रभिन्नेत है नहां राज्य सरकार के पास यह विश्वास का कारण है कि वहां घरयाचार हो सकता है या प्रधिनियम के प्रधीन किसी प्रपराध के पुनः होने की प्रायंका है प्रथवा ऐसा क्षेत्र प्रस्थाचार उन्मुख है;
- (घ) "शैर सरकारी संगठन" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 1860 (1860 का 21) के प्रधीन या दस्तावेजों या ऐसे संगठनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के प्रधीन प्रनु-सूचित जाति श्रीर धनुसूचित जनजाति से संबंधित कल्याण संबंधी क्रियाकलागों में लगा बुआ कोई स्वैच्छिक संगठन प्रभिप्रेत है;
- (ङ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिन्नेत है ;
- (च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (छ) "राज्य सरकार" से, किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक प्रभिप्तेत है;
- (ज) उन शब्दों भीर मदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं किन्तु भिधिनियम में परिभाषित हैं, वही मर्थ होंगे जो क्रमशः श्रिधिनियम में हैं।

781 GI/95—I

- पूर्वावधानात्मक श्रौर निवारक उपाय- राज्य सरकार, धनुसूचित जातियों श्रौर धनुसूचित जनजातियों पर श्रत्याचारों के निवारण की दृष्टि से, —
  - (i) ऐसे क्षेत्र को परिलक्षित करेगी, जहां इसके पास विश्वास का कारण है कि अधिनियम के प्रधीन अत्याचार हो सकता है या किसी अपराध के पुनः होने की आर्थका है;
  - (ii) जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रधीक्षक या किसी प्रत्य प्रधिकारी को परिलक्षित क्षेत्र का दौरा करने भौर विधि व्यवस्था की स्थिति का पुनर्विलोकन करने के प्रादेश देगी;
  - (iii) यदि आवश्यक समझा जाए तो परिलक्षित क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों के जो अनुसूचित जाति तथा अनु-सूचित जनजाति के नहीं है, उनके निकट संबंधियों/ सेवकों या कर्मचारियों और कुटुम्बीय मिल्रों कें श्रायुघों के लाइसेंसों को रह करेगी और ऐसे श्रायुघों को सरकारी श्रस्तागार में जमा करवाएगी;
  - (iv) सभी अवैध अन्यायुधों का श्रिभग्रहण करेगी तथा अन्यायुधों के किसी अवैध विनिर्माण को प्रतिविद्ध करेगी:
  - (v) व्यक्ति और सम्पत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, यदि श्रावण्यक समझा जाए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को श्रायुध प्रदान करेगी;
  - (vi) ग्रिधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में सरकार की सहायता करने के लिए यदि उचित और प्राव-ध्यक समझा जाए तो एक उच्च शक्ति प्राप्त राज्य स्तरीय समिति, जिला तथा प्रभाग स्तरीय समितियों का गठन करेगी;
  - (vii) अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयम के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के लिए एक सतर्कता और मानीटरी समिति की स्थापना करेगी;
  - (viii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को, विभिन्न केन्द्रीय और राज्य अधिनिविभितियों या निवमों, विनियमों तथा तद्धीन बनाई गई योजनाओं के उपबन्धों के अधीन उनको उपलब्ध उनके अधिकारों और संरक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए परिलक्षित क्षेत्र में अथवा किसी अन्य स्थान पर जागरूकता केन्द्रों की स्थापना करेगी और कार्यशालाओं का आयोजन करेगी;
  - (ix) जागरूकता केन्द्रों की स्थापना और उनके रख-रखाव के लिये गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करेगी और उन्हें श्रावश्वक वित्तीय तथा ग्रन्य प्रकार की सहायता प्रदान करेगी;
  - (x) परिलक्षित क्षेत्र में विशेष पुलिस बल तैनात करेगी;

- (xi) प्रत्येक तिमाही के भ्रंत में विधि व्यवस्था की स्थिति, विभिन्न समितियों के कार्यंकरण, प्रधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्तयन और प्रधिनियम के प्रधीन रिजस्ट्रीकृत मामलों के लिये उत्तरदायी विशेष लोक भ्रभियोजकों, प्रान्वेषक प्रधिकारियों और अन्य व्यधिकारियों के कार्यंपालन का पुनर्विलोकन करेगी;
- 4. श्रभियोजन का पर्यवेक्षण और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना:
- (1) राज्य सरकार, जिला मिजिस्ट्रेट की सिफारिय पर विश्वेष न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिये परेसे विश्विष्ट ज्येष्ठ प्रधि-वक्ताओं की संख्या का एक पैनल तैयार करेगी जैसा वह उचित समझे, जो कम से कम सात वर्षों से विधि व्यवसाय में हों। इसी प्रकार, प्रभियोजन निदेशक/ प्रभियोजन के भारसाधक के परामशें से विशेष न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिये लोक शिम्बोजनों का ऐसी संख्या में एक पैनल भी तैयार किया जायेगा, जैसा वह उचित समझे। ये दोनों पैनल राज्य के राजपत्र में भी ग्रविस्चित किये जाएं श्रीर तीन वर्षं की ग्रविज के लिये प्रवृत्त रहेंगे।
- (2) जिला मजिस्ट्रेट घौर धिभयोजन निर्देशक/
  प्रभियोजन का भारसाधक एक कलेंडर वर्ष में दो बार,
  जनवरी तथा जुलाई के मास में इस प्रकार विनिर्दिष्ट या
  नियुक्त विशेष लोक प्रभियोजकों के कार्यपालन का पुनविलोकन करेंगे और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत
  करेगा।
- (3) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है या यह विश्वास करने का कारण है, इस प्रकार नियुक्त या विनिर्दिष्ट किसी विशेष लौक ग्रमियोजक ने अपनी सर्वोत्तम योग्यता से तथा सम्यक सार्वधानी श्रीर सत्कृता से मामले का संचालन नहीं किया है तो उसका नाम, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों सें, श्रिधसूचना से निकाल दिया जायेगा।
- (4) जिला मजिस्ट्रेट और जिला स्तर पर अभियोजन का भारसाधक अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति का पुनर्बिलोकन करेंगे तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती मास की 20वीं तारीख को या उससे पहले अभियोजन निदेशक और राज्य सरकार को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस रिपोर्ट में प्रत्येक मामले के अन्वेषण और अभियोजन के संबंध में की गई प्रस्तावित कार्रवाडणां विनिर्दिष्ट होंगी।
- (5) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट, यदि आवश्यक समझे, अथवा श्रत्याचार के पीड़ित ब्यक्ति ऐसा चाहें तो त्रिशेष न्यायालयों में मामसे के संवालन के लिये ऐसी फीस के मुगतान पर जैसा वह उचित समझे, एक विशिष्ट ज्येष्ठ श्रधिवकता को नियोजित कर सकेगा।

- (6) विशेष लोक ग्रभियोजक को कीस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा राज्य में ग्रन्य पैनल अधिवक्ताओं से उज्जातर मान पर नियत किया जाएगा।
- पुलिस याने के भारसाधक पुलिस ग्रधिकारी को सुचना:---
- (1) प्रधिनियम के अधीन प्रपराध किये जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना यदि पुलिस चाने के भारताधक किसी अधिकारी को मौखिक रूप से बी जाती है तो उसके द्वारा या उसके निर्देश से लेखबढ़ कर ली जाएगी और ऐसी प्रत्येक सूचना, बाहे लिखित में दी जाती है या यथापूर्वोक्त लेखबढ़ की जाती है, इसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और उसके सार को उस पुलिस थाने द्वारा , रखी जाने बासी पुस्तका में प्रविष्ट किया जाएगा।
- (2) उपर्युक्त उपनियम (1) के ब्रधीन इस प्रकार लेखबद्ध की गई सूचना की एक प्रति सूचना देने बाले को तत्काल मुक्त दी जाएगी।
- (3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना को लेखबढ़ करने से पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की और से इंकार होने से व्यथित कोई व्यक्ति इस प्रकार की सूचना का सार लिखित रूप में डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो स्वयं अपने द्वारा या एक पुलिस अधिकारी द्वारा जो पुलिस उप अधीक्षक के रेंक से कम नही, अन्वेषण के पश्चीत् लिखित रूप में एक आदेश उस सूचना के सार को उस पुलिस थाने के द्वारा रखी जाने वाली पुलिसका में प्रविष्टि किए जाने के लिए संबंधित पुलिस थाने के शिए संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को देगा।
  - ग्रधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण:
- (1) जब कभी जिला मिजस्ट्रेट या उपखण्ड मिजस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मिजस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस उप अधीकाण से कम की पेक्स का न हो, किसी अपित से अथवा अपनी ही जानकारी से सूचना प्राप्त करता है कि उसकी अधिकारिता के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अल्याचार किया गया है तो तुरंत बहु अल्याचार से हुए जीवन हानि, सपत्ति हानि और नुकसान की सोमा को निर्धारण करने के लिए स्वयं घटना स्थल पर जाएगा और राज्य सरकार को तत्काल एक रिपोर्ट प्रस्तुत
- (2) जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रयबा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीलक उस स्थान या श्रेत्र का निरीक्षण करने के बाद उस स्थल पर,—
  - तहन के हकदार पीड़िनों, उनके हुटुम्ब के सदस्यों और धानिस्तों की एक मुन्ने बनाएगा;

- (ii) अध्याचार, पीड़ितों की सम्पत्ति की हानि और नुकसान की सीमा की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा;
- (iii) क्षेत्र में पुलिस की गहन गश्त के झादेश देगा;
- (iv) साक्षियों और पीड़ितों से सहानुभृति रखने वालीं को सुरक्षा प्रदान करने के प्रभावी और ब्रावश्यक उपाय करेगा;
- (v) पीड़िलों को तत्काल राहत प्रदान करेगा।

#### 7. ग्रन्वेषक ग्रधिकारी :

- (1) अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो पुलिस उपअधीक्षक के रैंक से कम का न हो। अन्वेषक अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार /पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके पूर्व अनुभव, मामले की विविधाओं को समझने और मामले का अन्वेषण सही दिशा में कम से कम समय के भीतर करने की योग्यता और न्याय की भावना को ध्यान में रख-कर की जाएगी।
- (2) उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त अन्वेषक अधिकारी अन्वेषण उच्च प्राथमिकता पर तीस दिन के भीतर पूरा करेगा और पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो उसके पत्र्चात् उसे उस राज्य सरकार के पुलिस महानिदेशक को तत्काल भेज देगा।
- (3) राज्य सरकार के गृह सचिव और समुाज कल्याण सचिव अभियोजन निदेशक/अभियोजन के भारसाधक अधि-कारी तथा पुलिस महानिदेशक प्रत्येक तिमाही के अन्त में अन्वेषण अधिकारियों द्वारा किए गए सभी अन्बेषणों को स्थिति का पुनिवलोकन करेंगे।
- प्रनुसुचित जाति और प्रनुसुचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना :
- (1) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक/पुलिस महा-निराक्षक के भारसाधन में एक अनुदूषित जाति और मनु-सूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना करेगी। यह कक्ष निम्निलिखित कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा:—
  - (i) परिलक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण करना ;
  - (ii) परिलक्षित क्षेत्र में लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना:
  - (iii) परिलक्षित क्षेत्र में विशेष पुलिस बल वैनात करने के लिए या विशेष पुलिस चौकी की स्थापना के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना;
  - (iv) ग्रधिनियम के प्रधीन अपराध होने के सम्भावित कारणों के बारे में अन्वेषण करना;
  - (v) प्रनुष्क्षित जाति और प्रमुक्षित जनजाति के सदस्यों में शुरक्षा की मायना को लाना;

- (vi) परिरक्षित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थित के बारे में नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारी को सुवित करना;
- (vii) विभिन्न अधिकारियों द्वारा किए गए प्रन्वेषण और स्थल पर किए गए निरीक्षणों के बारे में पूछताछ करना;
- (viii) नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन उन मामलों में, जहां पुलिस बाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उस बाने में रखी जाने वाली पुस्तिका में अविष्टि करने से इंकार किया है, पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में पूछताछ करना;
- (ix) किसी लोक सेवक द्वारा जानवृक्षकर की गई उपेक्षा के बारे में पूछताछ करना;
- (x) अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत मामलों की स्थित का पुनिवलोकन करना;
- (xi) उपर्युक्त के संबंध में राज्य सरकार/नोडल अधि-कारी को की गई/की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में एक मासिक रिपोर्ट प्रत्येक पश्चात्वर्ती मास की 20 तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत करना।

# 9. नोडल ग्रधिकारी का नामनिर्देशन:

राज्य सरकार, जिला मिलस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारियों के अधिनियम के उपबन्धा के कार्यान्य अप किए जिम्मेदार अन्वेषण अधिकारियों के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए, राज्य सरकार के सचिव के स्तर के अधिकारी को, जो अधिमानतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सें संबंधित हो, नोडल अधिकारी नाम-निर्देशित करेगी। प्रत्येक तिमाही के अन्त में नोडल अधिकारी तिम्नलिखित का पुनिवलोकन करेगा:—

- (1) निगम 4 के उपनियम (2) और उपनियम (4), नियम 6, नियम 8 के खंड (xi) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट;
- (2) अधिनियम के प्रश्नीन रजिस्ट्रीइन्त मामलों की स्थिति;
- (3) परिलक्षित क्षेत्र में विद्य व्यवस्था की हिंसीत;
- (4) अत्यानार से पीड़ित व्यक्तियों या उसके आश्रित को नकद या बस्तु रूप में अथवा दोनों में तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए अपनाए गए विभिन्न उपाय:
- (5) अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों या उसके ब्राश्रितों को रामन, क्स्ल, काश्रय, विश्विक गहायता, याला भत्ता, दैनिक मता तथा परिवहत सुविधाओं वैदी तत्काल दी जाने वाली सुविधाओं की पर्याप्तता;

(6) प्रधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार गैर-सरकारी संगठनों, प्रनुसूचित जाति ग्रीर प्रनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष, विभिन्न समितियों ग्रीर लोक से वकों का कार्यापालन ।

# 10. विशेष ग्रधिकारी की नियुक्ति:

परिलक्षित क्षेत्र में अपर जिला मजिस्ट्रेट के रैंक से अन्यून का एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक या अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदारी अन्य अधिकारियों, विभिन्न समितियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष के साथ समन्वय करने के लिए की जाएगी। विशेष अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:—

- (1) अत्याचार से भीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत और अन्य सुविधाएं प्रदान करना और अत्याचार के पुनः होने को निवारित करने या उससे अचने के आवश्यक उपाय करना;
- (2) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को उनके अधिकारों और विभिन्न केन्द्रीय और राज्य सरकारों की अधिनियमितियों या नियमों और तद्धीन तैयार की गई योजनाओं के उपबंधों के अधीन उन्हें प्राप्त संरक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए परिलक्षित क्षेत्र में चेतना केन्द्र की स्थापना तथा कार्यकालाओं का प्रायोजन करता;
- (3) मैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वयं करना और केन्द्रों के रख-रखाव या कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को आवश्यक सुविधाओं वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना;

11. अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति उसके ब्राश्रित तथा साकियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण पोषण व्यय और परिवहन सुविधाएं:

- (1) अत्याचार से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति उसके आश्चित और साक्षियों को उसके यावास अथवा ठहरने के स्थान से अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण या सुनवाई या विचारण के स्थान तक का एक्स-प्रेस/मेल/याबी ट्रेन में द्वितीय श्रेणी का खाने-जाने का रेल भाड़ा अथवा बास्तविक वस वा टक्सी भाड़े का संदाय किया जाएगा।
- (2) जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों को, अन्वेषण अधिकारी, पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए परिवहन सुविधाएँ देने अथवा उसके पूरे एंदाय को अतिपूर्ति की आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

- (3) प्रत्येक महला साक्षी, प्रत्याचार से पीड़ित व्यक्ति या उसकी आश्रित महला या प्रवयय व्यक्ति साठ वर्ष की आयु से अधिक का व्यक्ति और 40 प्रतिशत या उससे प्रधिक की निःशक्त व्यक्ति धपनी पसंद का परिचर प्रपने साथ लाने का हंकदार होगा। परिचर को भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की सुनवाई, अन्वेष ण और विचारण के वीरान बुलाए जाने पर साक्षी अवना अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को वेय यात्रा और भरणपोषण व्यय का संदाय किया जाएगा।
- (4) साक्षी, अस्याचार से पीड़ित व्यक्ति या उसका/
  उसकी आश्रित तथा परिचर को अपराध के अन्वेषण,
  सुनवाई और विचारण के दौरान उसके आवास अथवा
  ठहरने के स्थान से दूर रहने के दिनों के लिए ऐसी
  दरों पर दैनिक भरण पोषण व्यय का संदाय किया
  जाएगा जो उस न्यूनतम मजदूरी से जैसा कि राज्य सरकार
  ने कृषि श्रमिकों के लिए नियत की हो, कम नहीं होगा।
- (5) साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति (अथवा उसका/उसकी आक्रित) और परिचर को दैनिक भरण-पोथण व्यय के अतिरिक्त घाहार व्यय का भी ऐसी दरों पर संदाय किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत करें।
- (6) पीड़ित व्यक्तियों, उनके आधितों/परिचर तथा साक्षियों को अन्वेषण अधिकारी या पुलिस थाना के भारसाधक अथवा अस्पताल प्राधिकारियों या पुलिस अधी-अकं/उप पुलिस अधीकक अथवा जिला मांजरट्रेट या किसी अन्य संबंधित अधिकारी के पास अथवा विशेष न्यायालय जाने के दिनों के लिए यात्रा असा, दैनिक मता, भरणपोषण ज्यय तथा परिवहन सुविधाओं की प्रतिपूति जिला मैजि-स्ट्रेट अथवा उप खंड मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य कार्यपालक मंजिस्ट्रेट द्वारा तुरंत अथवा अधिक से अधिक तीन दिनों है किया जाएगा।
- (7) जब प्रधिनियम की ब्रास् 3 के अधीन कोई प्रभाग किया, गया है तो जिला मजिस्ट्रेट या उप खंड मजिस्ट्रेट प्रथम कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, प्रत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए औषधियों, त्रिणेष परामर्श रक्ताधान बदलने ने लिए धावण्यक बस्त; भोजन और फर्लों के लिए संदाय की प्रतिपृत्ति करेंगे।
  - 12. जिला प्रशासन द्वारा किए जाने वासे उपाय :
- (1) बीवन हानि और सम्पत्ति के हुए नुकसान का निर्धारण करने और राहत के लिए पाव पीड़ित व्यक्तियों उनके कुटुम्ब के सदस्यों और श्राश्रितों की एक सूची तैयार करने के लिए जिला मिलस्ट्रेड अथा पुलिस प्रजीक्षक उस स्टान या क्षेत्र में जाएने बहुत स्थानाय किया, यूना

- (2) पुलिस ग्राधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रथम इतिला रिपोर्ट संबंधित पुलिस षाने की बही में रिक्ट्री-कृत को गई है और अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए प्रभावी कदम उठाए शए हैं।
- (3) पुलिस प्रजीक्षक, मौके पर निरोक्षण के परचात् तत्काल एक प्रन्वेषण प्रक्षिकारी नियुवत करेग, और उस क्षेत्र मं ऐसा पुलिस बल तैना वर्नेगा और ऐसे प्रन्य निवारक उपाय करेगा जिन्हें वह उचित और मावश्यक समझे।
- (4) जिला भिजिस्ट्रेट या उप खंड मैजिस्ट्रेट प्रथवा कीई झन्य कार्यपालक मिजिस्ट्रेट, इन नियमों (उपाबंध 2 के साथ पठित उपाबंध 1) से उपाबंड धनुसूनी में विए गए मान के अनुसार धरयानारों से पीड़ितों, व्यक्तियों उनके कट्ट के सदस्यों और आश्रितों को नकद या वस्तु अभवा दोनों हुए में तत्काल राहत देने की व्यवस्था करेगा। ऐसी राहत में भोजन, जल, कपड़े, श्राश्रय, निकित्सा सुविधा, परिवहन सुविधा और अन्य भावश्यक मर्दे भी सिम्मिलित होगी जो मानव के लिए धावश्यक है।
- (5) उप नियम (4) के अधीन अत्याचार पीड़ित व्यक्ति या उसके/उसकी आश्रित को मृत्यु, या क्षति अधवा सम्पत्ति को नुकसान के लिए राहृत तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का दावा करने किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त होगा।
- (6) उप नियम 4 में उल्लिखित राहत और पूनवांस सुविधाएँ जिला मजिस्ट्रेट प्रथवा किसी ग्रन्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा इन नियमों की उनाबद्ध श्रनुक्षवी में दिए गए मान के अनुसार प्रदान की जाएगी।
  - (7) जिला मजिस्ट्रेट या उप खंड गजिस्ट्रेट यथवा अधीक्षक द्वारा पीड़ित व्यक्तियों की राहत ब्रोर पुनर्वास पुविद्याओं की एक रिपोर्ट विशेष त्यायालय की अग्नेषित की जाएगी। यदि विशेष त्यायालय का समाध्यन ही जाता है कि राहत का संदाय पीड़ित व्यक्ति अथवा उसका/उसकी ग्राप्तित को समय पर नहीं किया गया ग्रथवा राहत या प्रतिकर पर्वाप्त नहीं था ग्रथवा राहत और प्रतिकर पर्वाप्त नहीं था ग्रथवा राहत और प्रतिकर के केवल एक भाग का संदाय किया गया तो यह राहत अथवा कोई ग्रन्य प्रकार की सहाजता का पूर्ण अथवा आंशिक संदाय करने का ग्रादेश दे सकेगा।
- 13 ब्रह्माचार से संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का चयन:
  - (1) राज्य सरकार यह सुनिध्चित करेगी कि अत्याचार प्रवण क्षेत्र में नियुक्त किए जाने वार्ले प्रशासनिक श्रीवकरियो तथा कर्मचारेयों की अनुसूचित स्थित एन्स्युचित जनआशियां की समस्याग्री के प्रात चड़ी प्रवृत्ति और समझ है।

(2) राज्य सरकार यह भी सुनिष्चित करेगी कि अनुसूचित जाति शौर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रशासन तथा पुलिस बल में सभी स्तरों पर विश्रेष रूप से पुलिस चौडियों शौर पुलिस थाने में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व हो।

14. राज्य सरकार का विनिर्विष्ट दायित्व: राज्य सरकार अपने वापिक वजट में अत्याचार से पीड़ित व्यवितयों को राहत और पुनर्वात सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक उपबंध करेगी। यह एक कलेन्डर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में अधिनियम की धारा 15 के अधीन विनिर्विष्ट अथवा नियुक्त विशेष लोक अधियोजक के कर्यपालन जिला मजिस्ट्रेट, उप खंड मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्ट किए गए अन्वेषण और निवारण के लिए उठाए गए कदमों, दो गई राहत और पुनर्वात सुविधाओं तथा संबंधित अधिकारियों की और से की गई गलतियों के संबंध में रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करेगी।

- 15. राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता योजना :---
- (1) राज्य सरकार, घिं नियम के उपबंधों के कार्यान्यम के लिए एक ग्रादर्श ग्राकिस्मकता योजना तैयार करेगी ग्रीर उसे राज्य सरकार के राजपत में ग्रीधसूचित करेगी। इसे विभिन्न विभागों ग्रीर विभिन्न स्तरों पर उनके ग्रीधकारियों की भूमिका ग्रीर जिम्मेदारी, ग्रामीण/शहरी स्थानीय निकायों ग्रीर ग्रीर सरकारी संयठनों की भूमिका ग्रीर जिम्मेदारी को विनिद्धित करना चाहिए। इस योजना में ग्रम्थ बातों के साथ साथ निम्मिक्त को शामिल करके राहत कार्यों का एक पैकेज होगा:—
  - (क) नकद या वस्तु रूप में अथवा इन दोनों में तत्काल राहत, प्रदान करने की योजना,
  - (ख) कृषि भूमि तथा गृह स्थलों का स्रावंटन;
  - (ग) पुनर्वास पैकेन;
  - (ध) सरकार और सरकारी उपक्रमों में पीड़ित व्यक्ति के आश्रित अथवा कुटुम्ब के सदस्यों में से एक की रोजगर के लिए स्कीम;
  - (ङ) विधवाझों, मृतक के श्राश्रित बालकों, विकलौग व्यक्तियों या प्रत्याचार से पोड़ित बुद्धों के लिए पेंशन स्कीम;
  - (च) पीडितों के लिए ग्राज्ञापरक प्रतिकर;
  - (छ) पीड़ित की सामाजिक और श्रायिक हालत को सुद्द करने के लिए स्कीम;
  - त्य) व्यक्ति क्यां क्य

- (झ) स्वास्य की देखमाल, यावश्यक वस्तुओं की प्राप्ति, विश्वतीकरण, पर्याप्त पेयजल सुविद्या, प्रन्तविष्ट स्थल तथा प्रमुस्चित जाति और अनुष्वित जनजाति के प्राकृतिक वास तक संपर्क मार्ग जैसी सुविधाएं।
- (2) राज्य सरकार, ग्राकिसकता योजना की ग्रथमा उसके सार की एक प्रति ग्रीर इस स्कीम की एक प्रति यथाशीझ कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार तथा सभी जिला मजिस्ट्रेटों उपखंड मजिस्ट्रेटों, पुलिस महानिरीक्षकों ग्रीर पुलिस ग्रधीक्षकों को ग्रमीवित करेगी।
- राज्य स्तरीय सतकंता ग्रीर मानीटरी समिति का गठनः
- (1) राज्य सरकार प्रधिक से प्रधिक 25 सदस्यों की एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करेगी जिसमें निम्न-लिखित होगे:—
  - (i) मुख्य मंत्री प्रशासक—प्रध्यक्ष
     (राष्ट्रपति शासन के बधीन राज्य की दशा में राज्यपाल प्रध्यक्ष होगा) :
  - (ii) गृह मंत्री, वित्त मंत्री श्रीर कल्याण मंत्री—सदस्य (राष्ट्रपति शासन के प्रधीन राज्य की दशा में सलाहकार सदस्य होंगें):
  - (iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित संसद, राज्य विधान सभा और विधान परिषद् के सभी चृने गए सदस्य —सदस्य ;
  - (iv) मृष्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, निदेशक/उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग—सदस्य
  - (v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के प्रभारी सचिव—संयोजक
  - (2) उच्च शक्ति प्राप्त सतकता ग्रीर मानीटरी समिति की बैठक, प्रधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहुत ग्रीर पुनावास सुविधा तथा उससे सम्बद्ध ग्रन्थ मामले, ग्रधिनियम के ग्रधीन मामलों का प्रधियोजन ग्रधिनियम के उपवंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार विभिन्न ग्रधिकारियों ग्रीर ग्रधिकरणों की भूमिका ग्रीर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोटी पर विवाद करने के लिए एक कलेण्डर वर्ष में कम से कल दो बार जनवरी और जुलाई के मास में होती।

17. जिला स्तरीय सतर्जता श्रीर मानीटरी समिति का गठन :

- (1) राज्य के ग्रन्तगैत प्रत्यक जिले में जिला मजिस्ट्रेट, धधिनियम के विभिन्न उपवंधों के कार्यान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों की दी गई राहत और पुनर्वास सुविधाएं तथा उससे सम्बद्ध धन्य मामलों, अधि-ज्ञान के अधीन मामलों का अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न प्रधिकारियों/ग्राभिकरणों की मूमिका तथा जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोटी के पुनविलोकन के लिए प्रपने जिले में सतक ता ग्रीर मानीटरी समिति की स्थापना करेगा।
- (2) जिलास्तरीय सतकता और मानिटरी समिति में संसद, राज्य विधान समा तथा विधान परिषद् के चुने गए सदस्य; पुलिस अधीक्षक, अनुसूचित जाति भौर प्रनुसूचित जनजाति से संबंधित राज्य सरकार के तीन समूह "क" ग्रधिकारी/राजपवित

अधिकारी तथा अनुसूचित जाति श्रीर अनुसूचित जनजाति से संबंधित ग्रिधिक से ग्राधिक 5 गैर-सरकारी सदस्य तथा अनुसूचित जाति भौर धनु-सुवित जनजाति से भिन्न प्रवर्ग के ऐसे अधिक से श्रविक 3 सदस्य होंगे जो गैर सरकारी संगठनों से सहबद्ध हैं । जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला समाज कल्याण ब्रधिकारी कमणः, श्रध्यक्ष ग्रौर सदस्य-सचिव होंगे ।

(3) जिलास्तरीय समिति की, तीन मास में कम से कम एक बार बैठक होगी।

18. वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री :

राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों और इसके द्वारा पिछले कलेंडर वर्ष के दौरान तैयार की गई विभिन्न स्कीमों/योजनामों के बारे में रिपोर्ट मग्नेषित करेगी।

> [फा. सं. 11012/12/89 पी सी आर (डेस्क)] गंगा दास, संयुक्त सचिव

> > उपाबंध I यन्यची

[नियम 12(4) देखिए]

राहत राशि के लिए मापदण्ड

कम सं. अपराध का नाम

1

राहत की न्युनतम राशि

- श्रखाद्य या घृणाजनक पदार्य पीना या खाना [धारा 3(1)(i)]
- न्नति पहुंचाना, ग्रथमानित करना या शुब्ध करना [ धारा 3(1)(ii) ]
- ग्रनादरसूचक कार्य [धारा 3(1)(iii)]
- सदोष भूमि अभिभोग में लेना या उस पर कृषि करना, आदि
- [धारा 3(1)(iv)] मृमि, परिसर या जल से संबंधित [धारा 3(1)(v)]
- वेगार या बलात्श्रम या बुंधआ मजदूरी [धारा3(1)(vi)]

प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और गंभीरता की देखते हुए 25,000 ह. या उससे ग्रिधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा झनादर, झपमान, स्नति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा। दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा:

 25 प्रतिशत जब ब्रारोप-पत्न स्यायालय को भेजा जाए।

75 अतिशः। जब रचले न्यायालयों द्वारा टोमसिड ठहराया जाए।

अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम 25,000 र. या उससे अधिक भूमि/परिसर/जल की आपूर्ति जहां आवश्यक हो, सरकारी खर्च पर पून: वापस की जाएगी। जब ब्रारोपपत्र न्यायालय को भेजा जाए पूरा भुगतान किया जाए।

प्रत्यिक पीड़ित व्यक्ति को कम से कम 25000 ह./ प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्टेज पर 25 प्रतिशत और 78 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।

 मतदात के अधिकार के सबंब में [धारा 3(1)(vii)]

- मिथ्या, द्वेष पूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवादी [वासा 3(!) (viii)]
- मध्या या बुच्छ जानकारी
   [घारा 3(1)(ix)]
- श्रपमान, श्रभिकात [बारा 3(1)(x)]
- किसी महिता की लड़का अन हरता [धारा 3(1)(xi)]
- 12 महिना का लेंगिक गोपण [बारा 3(1)(xii)]
- । ानो गन्दा करना [धारा 3(1)(xiii)]
- मार्ग के यहिजन्य अधिकार ते वंचित करता [धारा 3(1)(xiv)]
- किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना [बारा 3(1)(xv)]
- 16 मिथ्या साक्य दंना [धारा 3(2)(1) **और**ं॥ं)]
- 17. भारतीय दंड गंहिता के स्रधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की प्रविधिक कारावास से दंडनीय अगराध करना [धारा (2)]
- 18. किसी लोकसेवक के हाथों उत्पीइन [धारा 3(2)(vii)]

प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 20,0000 के तक को गणराध के स्थलन और राभोरता पर निर्भाष है।

25000 ह. या बास्तिक विक्रिक स्वयं और टिनि की प्रतिपूर्ति वा अभिनुक्त के विकारण को समान्ति के प्रकात जो भी कम हो।

अपराध के स्वरुप पर निभार करते हुए प्रत्यक पीड़ित व्यक्ति को 25,0000/ह. तक 25 प्रतिमत उस समय जब धारोप पत्न न्यायालय को भेजा जाए और शेष दोप-सिद्ध होने पर।

अपराध के प्रत्येक पीड़ित को 50,000 व.। चिकित्सा जांच के पश्चात 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाए और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति पर भुगतान किया जाए।

1,00,000 ह. तक जब पानी को गन्दा कर दिया जाए तो उस साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुनः बहाज करने की पूरी लागत। उस स्तर पर जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाए भुगतान किया जाए।

1,00,000 क. तक या मार्ग के अधिकार की पुनः बहाल करने की पूरी लागत और जॉ नुकसान हुआ है, यदि कोई हो, उसका पूरा प्रतिकर । 50 प्रतिशत जब आरोप पत्न व्यायालय की भेजा जाएं और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर ।

स्थल बहाल करना। ठहराने का प्रधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 25,000 क. का प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुननिर्माण, यदि नष्ट किया गया हो। पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय में प्रारोप पक्ष भेजा जाए।

कम से कम 1,00,000 है. या उठाए गए नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकर । 50 प्रतिशत का भुगतान जब धारोपपत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय हारा दोषसिद्ध होने पर ।

अपराध के स्वरूप और यम्भीरता को वैखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्तिको या उसके आश्रित को कम से कम 50,000 है. यदि अनुसूची में विणिष्ट । अन्यवा प्रावधान किया हुआ हो तो इस राणि में अन्तर होगा।

उठाई गई हानि या नुकसान का पूरा प्रतिकर ! 50 प्रतिभत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत का भुगतान जब निचले न्यायालय में दोष सिद्ध हो जाए, किया जाएगा ।

नियोंम्यता। कल्गाण मंत्रालय भारत सरकार की समय-समय पर ययासंत्रोधित श्रश्चिमुचना सं. 4-2-83 एच. डब्ल्यू-3 तारीख 6-8-1986 में शारीरिक और मानसिक निर्योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। श्रश्चिमुचना की एक श्रति अनुबन्ध-2 पर है।

- (क) 100 प्रतिभत असमर्थतता
- (i) परिवार का न कमाने वाला सदस्य
- (ii) परिवार का कमाने वाला सदस्य
- (ख) जहां ब्रसमर्थतता 100 प्रतिशत से कम है।

20. हत्या/मृत्यु

- (क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य
- (ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य
- 21. हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, गेंग द्वारा किया गया बलात्संग, स्थावी ग्रममर्थतता और क्केती।

22. पूर्णतया नष्ट करना/जला हुआ मकान ।

ग्रपराध के प्रश्येक पीड़ित को कम से कम 1,00,000 ह.।
50 प्रतिभत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिभत ग्रारोप-पल पर और 25 प्रतिभत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर।

प्रपराञ्च के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 2,00,0000 क., 50 प्रतिश्रत का प्रथम सूचना रिपोर्ट/चिकित्सा जांच पर भुगतान किया जाए और 25 प्रतिश्रत जब झारोप पत्न न्यायालय को भेजा जाए तथा 25 प्रतिश्रत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर।

उपयुंबत क (i) और (ii) में निर्धारित दरों को उसी अनुपात में कम किया जाएगा, भुगतान के चरण भी वहीं रहेंगे। तथापि न कमाने वाले सदस्य को 15,000 रु. सें कम नहीं और परिवार के कमाने याले सदस्य को 30,000रु. से कम नहीं होगा।

प्रत्येक मामले में कम से कम 1,00,000 ह. । 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात और 25 प्रतिशत निचले स्थायालय द्वारा दोयसिंद्ध होने पर।

प्रत्येक मामले में कम से कम 2,00,000 रु.। 75 प्रतिशत का भुगतान पोस्टमार्टम के पश्चात और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर।

उपयुंक्त मदों के ब्रन्तर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के प्रतिरिक्त, राहत की व्यवस्था ग्रत्याचार की तारीख में तीन माह के भीतर निम्नलिखित रूप सें की जाए:—

- (i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों की 1,000 ह. प्रति मास की दर सें, या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक मकान यदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा।
- (ii) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण-पोषण का पूरा खर्चा/बच्चों को ग्राश्रम, स्कूलों/ ग्रावासीय स्कूलों में दाखिल किया जाए।
- (iii) तीन माह की अवधि तक वर्तनों, चायल, गेंहूं, दालों, दलहनों ग्रादि की व्यवस्था।

जहीं मकान को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिवा गया हो। वहां सरकारी खर्च पर ईट पत्थर के मकान का निर्माण किया जाए या उसकी व्यवस्था की जाए। अन्बन्ध - 2

सं. 4-2/83-एच. डब्ल्यू.-3 भारत सरकार कल्याण मंतालय दिनांग 6 ग्रगस्त, 1986

विषय:--शारीरिक छव से विकलांग व्यक्तियों की एकसमान

इस समय केन्द्रीय और सरकारों के धनेक योजनाओं/
कार्यक्रमों में विभिन्न श्रेणियों के विकलानों के लिए अलगअलग परिभाषाएं अपनाई जा रही हैं। कल्याण मंद्रालय,
भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में
मानक परिभाषाओं, प्राधिकृत प्रमाणीकरण प्राधिकारियों और
बस्तुनिष्ठ प्रमाणीकरण हेंतु मानक परीक्षणों के लिए तीन
समितियां क्रमशः दृष्टि विकलांगताओं, वाणी व अवण
विकलांगताओं तथा चलन सम्बन्धी विकलांगताओं के लिए
और एक अलग समिति मानसिक विकलांगताओं के लिए

- 2. इन सिमातयों की रिपोटों पर विचार कर लिए जाने के पश्चात् धौर राज्य सरकारों/संव राज्य सेवों तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों की सहमित से मुझे निम्निलिखित श्रेणियों के जारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की परिभाषाएं प्रधिसूचित करने की राष्ट्रपति की स्वीकृति सूचित करने का निदेश हुआ है:—
  - 1. दृष्टि विकलांगता
  - 2. चलन विकलांगता
  - 3. वाणी भीर श्रवण विकलांगता
  - 4. मानसिक विकलांगता
  - समिति की रिपोर्ट अनुबन्ध-। में दी गई है।
- अनुबन्ध में उल्लिखित विनिद्धिः प्रीक्षण, चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाण-पन्न दिए जाने से पूर्व किए जाने चाहिएं बौर रिकार्ड किए जाने चाहिएं।

 प्रमाण-पत्न तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

7. राज्य सरकारें/संग राज्य क्षेत्र प्रवासन उपर्युक्त पैरा 4 में किए गए जल्लेख के अनुसार विकित्सा बोर्डों का तत्काल गठन करें।

हस्ता . |-

(एम. सी. नरसिम्हन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त अधिसुभना भारत के राजपन्न में सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित की जाए। गजट अधिसुचना की प्रतियां केन्द्र सरकार के सभी गंजालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान गंत्री कार्यालय, लोक सभा—राज्य सभा सचिवालय को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए गोजी जाए।

> हस्ताः /-(एमः चीः नरसिम्हन) संयुक्त सचित्र, भारत सरकार

मानक परिभाषाओं, प्राधिकृत प्रमाणीकरण प्राधिका-रियों और दृष्टि, श्रवण, वाणी तथा चलन विकलांगताओं के मानक परीक्षणों की सिफारिश करने के लिए गठित तीन समितियों की संयुक्त रिपोर्ट।

समितियों के सदस्यों की सुनी अगुबन्ध-1 पर है। परिचय

भारत एक विशाल वेश है और इसकी विविधता वाली सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा आधिक पुष्टभूमि है। स्वास्थ्य सेवाओं में उन्नति के बावजूद, पोलियो
संक्रमण और जन्मजाति बीमारियां जब भी होती रहती
है। बढ़ते हुए आंखोमिकीकरण और योजिकीकरण, अहनां
के मातायात से चलन संबंधी विकलामताएं होता है। बिटामिन "ए" की कभी, गोजियाबिक्य और सक्रमण, रोठें,
पोषक तत्वों को कभी से बुष्टि कमजोर होती है, काल
सा संक्रमण, बाहरी चोटों, ओर-प्रमुखण से जात में अवण
णिकत की कभी आती है। ये तील प्रमुख विकलामताएं
है जो ऐसे किसी एक या विवक षटकों के पार्याप्यक्रम
स्वयं ही प्रकट होती हैं।

2. भारत सरकार, विकलांग व्यक्तियों को अनेक गुविधाएं और रियावर्ते प्रदान कर रही है। इन गुविधाओं और रियावर्तों को प्रदान करने के लिए यह करूरी है कि इन विकलांगताओं के बारे में एक परिजाषा निष्चित कर की जाए। राष्ट्रीय विकलांग कल्वाण परिषद् की सिफारिशों के अनुसरण में, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में, परिभाषाओं का एक ऐसा मानक सैट तैयार करने के लिए समिति की बैठक हुई जिसे एक समान रूप सेपूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।

तथापि, परिभाषाओं के एक समान खेट का निगर ारने का अर्थ यह कही लगाना जाना बाहिए कि इस समय कोई परिभाषा ही नहीं है। इस समय विकलानों को निभिन्न रिभायतें और मुखिआएं दिए जाने के निए प्रभावन प्रम तीन प्रमुख विकलायताओं की परिभादण् समुबरा-2 में दी गई हैं।

मारीरिक आति से कार्यात्मक अतिना होता है जार कार्यात्मक प्रतिचन्ध्र से विकलांगता होती है। बारीरिक अति, कार्यात्मक प्रतिचन्ध्र और विकलांगता की परिभाषा विश्व स्थाल्थ्य क्षेत्रका ने की है और यह समिति इस वर्गीकरण को अपनाने को लिफारिक करतो है, जो इस प्रकार है:--

- (1) अति :—धिति एक स्थाई या अल्पकालिक मनोवैज्ञानिक अश्वचा अर्थेर रचना संबंधी हानि और/या असानान्यता है। उदारहण के लिए अरीर का कोई अंग या प्रभावी भाग, दिशू अंग या "तंज्ज" जैने कटा दुआ अंग, पोलिखांपरान्त पश्चाचात, मन्तपोशी रोज्यलन, प्रमस्तिष्क चंवहनी, सीसित पुलोनरी क्षेत्रज्ञा, महोनेंद्र, मायोपिया, विक-पण, मानतिक मन्दता, हाइपरटेंशन, बाबोस्यक परेशानी।
- (2) कार्यात्मक प्रतिबन्ध :—दाति ने कार्यात्मक प्रतिबन्ध हो सकते हैं और उनसे बलन, संवेदनात्मक अथवा मानसिक कार्यों को उस दायरे में और तरीके से करने की आंणिक अथवा पूर्ण असमयंता है जिन्हें, कर पाने में एक मनुत्य सामान्य रूप से समर्थ हैं जैसे चलना, बोज उठाना, देखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, गणना करना और अपने कारों और के परिजेण के प्रति विच रखना और समर्थ स्थापित करना। कार्यात्मक प्रतिबन्ध, प्रवेदान्य, अरुपालक, स्थायी अपना प्रतिवन्ध, प्रतिवन्ध, अरुपालक, स्थायी अपना प्रतिवन्ध, विकास हो देस परिमाणन सोम्य होजा चाहित। प्रतिवन्धों का सर्णम "प्रमाधी" या "प्रतिनामी" के रूप में किया द्वा सकता है।
- (3) विकलांगता :—विकलांगता को एक अधवा अधिक कार्यकारता है जो स्पन्न करने में विद्यमान किंगाई के क्या में परिभाजित किया जा सकता है जो स्पन्नित की अस्ता में परिभाजित किया जा सकता है जो स्पन्नित की अस्ता में अनुसार दिन-प्रतिदित्त के अस्ता जैसे आता देखनात, सामाजिक गंबंधी और आधिक कार्यक्रवायों में आवश्यक पूत्रमूत बटकों के क्या में वामान्यतः स्पीकार की जाती है। आंशिक रूप से कार्यक्रवा में वामान्यतः स्पीकार की आधी के आसार पर विकलांगता अस्पर्कावक, पीत्रकातिक अपना स्थापी हो सकती है। शिक्तांगता में दृष्टि से विवसांगता भारितिक निराण सामान्य का तेकर पाने में भारोसिक अति और असमपंता की ज्ञाति का कम है। कार्यों दृष्टि से विकसांगता भारीरिक किंत असमपंता की लिया का कम है। कार्यों दृष्टि से विकसांगता आरीर की स्थार्थ असि है जिसके किए व्यक्ति को आंतपूर्णि को जानी स्थार्थ स्थार महीं की जानी साहिए।

थिक लोगता को 3 अवधियाँ में विभाजित किया जा सकता है।।

- (1) अस्वाई पूर्ण विकलांगता उस अवधि को कहते हैं जिसमें प्रमावित व्यक्ति कार्य करने की वृष्टि से पूर्णतः असमर्थ हो। इस अवधि के तौरान वह अस्थि, नेल, श्रवण और वाणी ने संबंधित अधवा कोई अन्य चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकता है।
- (2) प्रत्याई प्रांशिक विकलांगता उस प्रवधि को कहते हैं जब स्वास्क्य लाग की स्थिति सुधार की उस प्रवस्था तक पहुंच चुकी हो जितमें व्यक्ति कुछ लाभप्रद व्यवसाय मुख्क कर सके।
- (3) स्थाई ययोग्वता से अभिप्राय शरीर के कुछ माग/ भागों की स्थाई कृति अथवा प्रयोग हानि की स्थिति से है जब किसी चिकित्सा उपचार के माध्यम से अधिकतम सुधार की अवस्था तक पहुंच चुकी हो और स्थिति स्थिर हो। इस प्रकार के वर्गीकरण और विभिन्न रियाय्तें जिनकी सिफारिशें की जा रही हैं ये केवल अस्थाई विकलांगता के लिए हैं।

दृष्टि विकलांगता का मुल्यांकन श्रीर निर्धारण

इत दल द्वारा दृष्टि संबंधी अति/विकलायता के वर्गीकरण की सिफारिश को दृष्टि विकलायों के लिए विभिन्न रियायतों पर विचार करने की दृष्टि से चार श्रीणियों में विभाजित किया जा सकता है।

एक नेत्र वाले व्यक्ति से संबंधित मुद्दे पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया ! समिति का विचार है कि उन व्यक्तियों की दृष्टिहीनता के मूल्यांकन हेतु जिन मार्गदर्शी की सिफारियों स्पष्ट होनी ओ एक ग्रांख से लानार किन्तु दूतरे से मामान्यतः देख सकते हैं। समिति यह महसूस करती है कि ऐसे व्यक्तियों को अन्य दुष्टि विकलांग व्यक्तियों के साथ नहीं विलाया जाना चाहिए ताकि उग्र/मम्भीर दृष्टि विकलांग व्यक्तियों ग्रौर पूर्णतः दृष्टि हीन व्यक्तियों को प्राप्त सुविधाएं∤रियायतें कटें नहीं। यदि किसी नेत बाले व्यक्तित्यों को उग्र/गम्भीर दृष्टि विकलांगों एवं पूर्णतः दृष्टिहीन विकलांगों के ताथ मिला दिया जाता है तो ऐसे में समिति महसूस करती है कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को दी जाने वाली ग्रसिकांण रिआयतें खासकर उनके लिए ग्रार-क्षित नोकरियां एक नेव याले व्यक्तियों को मिल जाएंगी क्योंकि यन्य श्रीणयों की तुलना में उनकी दुष्टिहीनता कम है और इस प्रकार सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उनका कोटा तो भर जाएगा लेकिन वास्तविक अर्थों में हम प्णंतया द्रिट्हीन व्यक्तियों य उग्र दष्टि विकलांग व्यक्तियों को नौकरियां नहीं दे पाएसे। तथापि, समिति यह महसूस करती है कि यह सम्बंद किया जाना चाहिए कि यह चिकित्सा के ब्राजार पर एक नेज का न होना तब तक ब्रयोप्यता नहीं मानी जाए जब तक कोई पद उस तकनीकी प्रकृति का न हो कि दोनों नेजों जाप्रयोग आवश्यक हो। समिति यह भी सिफारिश करती है कि यदि किसी व्यक्ति को कुछ अस्याई दृष्टिहीनता/ दोप के कारण अयोग्य करार कर दिया गया हो तो इसकी काच्या चिकित्सा बोई दारा एक विकलांग के रूप में तब

तक नहीं की जानी चाहिए जब तक इस प्रकार की अस्थाई अति को उपचार अथवा दृश्य सहायक यहां की सहायता से दूर किया जा सकता हो।

दृष्टि विकलांगतायों के मृत्याकन एवं श्रेणोकरण सर्वधी दिवानिर्देश परिकिष्ट-3 में दिए गए हैं।

2- ध्वण एवं बाणी विकलांगता का मूल्यांकन स्रोर निर्धारण

समिति ने सिफारिश की है कि श्रवण और वाणी संबंधी श्रांति के मूल्यांकन एवं श्रेणीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपनाई गई परि-भाषाएं इस देश में भी अपनाई जा सकती हैं।

श्रवण संबंधी क्षति के मूल्यांकन के बारे में संस्तुत वर्गी-करण और विद्यानिवें प्र परिशिष्ट – 2 में दिए गए हैं। समिति ने श्रवण निकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली विभिन्न सुनि-धार्यों/रियायतों पर भी विचार किया। पुनवांस के लिए श्रवण निकलांगों को दी जाने वाली सुविधाओं संबंधी सुझाव भी परिशिष्ट – 2 में दिए गए हैं।

3. अस्थि विकलांगता का मूल्यांकन भौर निर्धारण

समिति यह सिफारिश करती है कि प्रस्थि विकलांगता के मूल्यांकन के लिए एक सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तस्वरूप केसलर विधि को प्रपनाया जा सकता है। जूंकि विकलांगता की श्रेणों के निर्धारण के बारे में कई मुद्दे उठाए गए हैं हस-लिए प्राधिकृत चिकित्सा बोर्ड किसी प्रन्य उपवृक्त चिधि से भी परामणें कर सकता है और केसलर विधि को एक प्राधार-भूत दिशानिर्देश के रूप में मान सकता है। समिति को यह मालूम है कि निर्धारण की ऐसी ग्रन्य विधियां भी हैं जो केसलर के दिशानिर्देशों के प्रतिकृत हैं। तथापि, विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों के मूल्यांकन की दृष्टि से केसलर के मार्गदर्शी सिद्धान्त/जैसी कि ग्राणा है, ग्रियक समय तक उपयोगी होंगे। कोई चिकित्सा बोर्ड विशेष, उन ग्रन्य विधियों पर भी विचार कर सकता है जिनसे किसी व्यक्तिगत मामले में विकलांगता के मूल्यांकन में सहायता प्राप्त हो सके।

प्राधिकारियों द्वारा प्रमाण-पत्न दिया जाना

स्थाई विकलांगता संबंधी प्रमाण-पत्न किसी ऐसे बोडं द्वारा आरी किया जायेगा जो केन्द्रीय भीर राज्य सरकारों द्वारा विधिवत् गठित किया गया हो। सिफारिश को जाती है कि विकलांगता मृत्यांकन संबंधी चिकित्सा बोर्ड कम से कम जिला स्तर पर उपलब्ध हो। यह भी सिफारिश को जाती है कि बोर्ड में कम से कम 3 सदस्य हों जिनमें से कम से कम एक चलन/दृष्टि/श्रवण एवं वाणी विकलांगता जैसी भी स्थिति हो के निर्धारण के क्षेत्र विशेष में विशेषज हों।

यह भी सिफारिश की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी एक भ्रमीलीय मेंडिकल बोर्ड भी स्थापित कर सकता है ताकि किसी विवाद का निपटारा किया जा सके। विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली रिवायतें/सविधाएं

सिफारिश की जा रही परिभाषाओं और को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों एवं राज्य सरकारों को वे सुविधाएं ग्रीर रियायतें विनिर्दिष्ट करनी होंगी जो विभिन्न श्रेणियों के विकलांगों की उपलब्ध कराई जायेंगी। यमिति सिफारिश करती है कि यदि किसी विशेष मामले में किसी व्यक्ति की विकलांगता 40% से कम हो तो उसे इस प्रकार का कोई भी लाभ/रियायत नहीं दिया जाये। ध्रन्य सभी श्रेणियों को छात्रवृत्ति, नौकरी म ग्रारक्षण, सहायक यंत्रों एवं उपकरणों से संबंधित रियायतें/सुविधाएं या तो नि:मुल्कया रियायती दरों पर प्रदान की जायें। साथ ही बाहन मत्ते इत्यादि प्रदान किये जायें। श्रवण विकलांगों के लिये यह समिति सिफारिश करती है कि विभाषा सूत्र में संशोधन किया जाये ताकि श्रवण विकलांगों को केवल एक भाषा का ग्रध्ययन करना पड़े। सामाजिक ग्रीर महिला कल्याण मंत्रालय इन सिफारिशों के ब्राघार पर तिनाया फार्नला नीति में बावश्यक संशोधन सर्वधी प्रस्ताव उपयुक्त मंत्रालय को प्रस्तुत कर सकता है।

समिति ने यह भी सिफारिश की कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सभी श्रेणियों के हल्के विकलांग व्यक्तियों के लिये ब्रावण्यक रियायतों के संबंध में विकित्सा मानदंडों म संशोधन भी कर सकता है ताकि हल्की विकलांगता के बाधार पर वे उस स्थिति में न छोड़ दिये जायें कि एक ग्रोर जहां उन्हें नौकरी में ग्रारक्षण की सुविधा प्राप्त न हो सके तो दूसरी ग्रोर ग्रन्यथावे सामान्य श्रेणी की सेवाओं में प्रवेश करने से वंचित रह जायें। चिकित्सा नियमों को भी यहां स्पष्ट रूप से विनिदिष्ट करना होगा कि एक नेत्र का न होना किसी पद विशेष के लिये तब तक अयोग्यता न मानी जाये जब तक वह पद उस तकनीकी प्रकृति का न हो जिसमें किसी ब्यक्ति के दोनों झांखों का प्रयोग ग्रथवा द्विआयमी दृष्टि थावश्यक हो। जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड किसी पद विशोष के लिये एक नेत्र से हीन व्यक्ति की उपयुक्तता का परीक्षण कर सकता है।

तीनों प्रकार की विकलांगताधों अथीत् दृष्टि, श्रवण धौर अस्थि संबंधी विकलांगताधों की मात्रा और सीमा निम्न प्रकार विनिर्दिष्ट है:--

- (क) हल्की 40% से कम
- (ख) मध्यम 40% और इससे अधिक
- (ग) उम्र 75% मीर इससे मधिक
- (घ) गम्भीर/कुल 100 %

फेंफड़े के रोगों से पोड़ित व्यक्तियों के लिये नौकरियों में कोई बारक्षण नहीं होगा। तथापि, ऐसे लोगों के लिये टंकण इत्यादि से छूट जैसी ब्रन्य रियायतों पर विचार किया जा सकता है।

परिभाषाओं/वर्गीकरणों/मूल्यांकन जांची ग्रादि के संबंध में किसी बिबाद/ सन्बेह के उत्पन्न होने की स्थिति में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ग्रन्तिम प्राधिकारी होगा।

केवल 40% ग्रीर इससे ग्राविक विकलांगता वाले व्यक्ति ही रोजगार कार्यालयों में विकलांगों की श्रेणी में पंजीकरण कराने के पाल होंगे ग्रीर सार्वजनिक क्षेत्र में गारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये ब्रारक्षित नौकरियों के सम्मुख इन्हों लोगों पर विचार किया जायगा।

डा.डी. बी. बिष्ट, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय. निर्माण भवन, नई दिल्ली।

(तीना उप-समितियों क निये)

महस्य

# द्ष्टि विकलांगी पर

1. डा. मदन मोहन. बापयालमोलॉजी के विभागाध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

2. डा. जी.एच. गिवानी, स्वास्थ्य सेवा सहायक महानिवेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय. निर्माण जवन, नई दिल्ली

 श्री ग्रार, एस, श्रीवास्तव. संयुक्त निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, थम मत्रालय, धम शक्ति भवन, नई दिल्ली

त. निदेशक. राष्ट्रीय इष्टि विकलांग संस्थान, राजपुर रोड. वेहरादून (प्रतिनिधित्व श्री एस. ग्रार. जुक्ला, सहायक निदेशक द्वारा)

 डा. भी. बॅकटास्वामी. यरविन्द नेत्र हास्पिटल, मदुराई तमिलनाड

डा. जे. एम. पाह्वा, मुख्य चिकित्सा ग्रधिकारी, गांधी नेव ग्रहाताल, अलीग#

 श्री हरचरणबीत गिह, सदस्य-सचिव भवर सचिव. समाज और महिला कल्याण मंत्रालय,

श्रवण विकलांगता पर

। डा. जी.एच. भियानी, स्वास्थ्य सेवा सहाय महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, गई दिल्ली

 थो धार.एस. धीबास्तव संयुक्त निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिवेशालय, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

3. डा.एस.के, कचेर, यखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान, नर्ड विल्ली

4 डा. एस. निष्या शीलन, । निदेशक. श्रविल भारतीय ग्रायुविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

डा. एन. रत्ना, निदेशक. धनी वावर जग अवण विकलांग संस्थान, हाजी धली पार्क, महालक्ष्मी, बम्बई (दिनांक 23-6-94 को डा. एम.एन. नागराजन, उप निदेशक दारा प्रतिनिधित्व)

 श्री हरनरणजीत सिंह, थवर सचिव सभाज और महिला कत्याण पद्मालय नई दिल्ल

#### बस्थि विकलाग पर

1. या. जी.एच. गिडवानी, स्वास्थ्य सेवा महायक महानिवेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

2. यार. एस. श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक. रोजमार एवं प्रशिक्षण महानिवेशालय, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति मंचन नई दिल्ली

 डा. नरेन्द्र कुमार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान गरिपद्, अंसारी नगर, नई दिल्ली

4. निदेशक. राष्ट्रीय अस्यि विकलांग संस्थान, बी.टी. रोड, बोन हुमली, कलकत्ता

सदस्य

सदस्य

5 डा. ए.के. मुखर्जी, सदः निदेशक, याल इडिया फिजीकल मैडीसीन एंड रिहेडचोटेंजन, हाजी ग्रली पार्क, बम्बई

6. डा. एस. के. वर्मा, सदस्य फिजीकल मैडीसिन एड रिहैब्लीटेशन के विभागाध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुधिज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

 हा. बी.पी. यादव, विशेष ग्रामंदित ग्रध्यक्ष, पुनर्वास विभाग, सफदरजंग हास्पिटल, नई दिल्ली

 डा. जे. एन गुलेरिया, विशेष झामंत्रित प्रोफेसर एंड हैड झाफ डिपाटंमेंट झाफ मैटिसीन, डीन, झखिल भारतीय झायूर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

 थो हरवरण जीत सिंह, सदस्य-सिंचव प्रवर सिंचव, समाज एवं महिला कल्याण मंत्रालय

यनुवंध-2

#### 1. द्ष्टि विकलांग:

रियायत, छातवृत्तियां, समन्तित शिक्षा प्रणाली में दाखिला, रोजमार में बारअण, महायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीव/फिटिंग के लिए सहायता प्रदान करने की दृष्टि से इच्छि विकलांगता की परिभाषा इस प्रकार स्वीकार की गई हैं:---

्षिटहीन वे लोग हैं जो निम्नलिखित में से किसी से पीढ़ित हों:

- (क) संपूर्ण युष्टिहीनता
- (ख) बेहतर नेव में दोपनिवारक जैंसे सहित दृष्टि दोष
   6/60 धयवा 20/200 (स्नेलेन) से ध्यायक न हो----
- (ग) दृष्टि अथवा उत्री संबंधी कोण का सीमित होना अथवा बदतर दिवति में होना

छात्रवृत्तियों की विभिन्न योजनाम्नों के मंतर्गत श्रवण विकल'ग की परिभाषा

बंधिर वे लोग हैं जिनकी श्रवण क्षमता जीवन के सामान्य उद्देश्यों के लिए प्रतिवाशील होती हैं। वे जोर से कही गई बात भी सुन/समझ नहीं सकते हैं। इस श्रेणी के तहत शामिल मामलों में वे हैं जिनकी श्रवण संबंधी श्रति बेहतर कान (गम्भीर श्रति) में 70 बैसिबल्स से प्रधिक हो बचवा दोवों ही कानों से बिल्कुल सुनाई न पहता हो। सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरी:/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता:

आशिक रूप से बधिर व्यक्ति वे हैं जो निस्न यिनिर्विष्ट श्रीणयों में से किसी एक के ग्रंतर्गत आते हैं:---

श्रेणी अनुण दोष

मामूजी शति बेहतर कान में 30 से श्रधिक लेकिन 45 डेसिबल्स से श्रधिक नहीं

गम्भीरक्षति बेहतर कान में 45 से प्रधिक लेकिन 60 डेसिबस्स से प्रधिक नहीं

उग्रक्षति बेहतर कान में 60 से अधिक किंतु 90 डेसिबल्स से प्रधिक नहीं

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विचाग द्वारा जारी किए गए बारकण संबंधी अधिण

बिधर वे लोग हैं जितकी श्रवण क्षमता जीवन के सामान्य उद्देश्यों के लिए श्रक्तिशाशिल होती है। वे जोर से कही गई बात भी सुन/समझ नहीं सकते हैं। इस श्रेणी के तहत णामिल मामलों में वे लोग हैं जिनकी श्रवण संबंधी क्षति येहतर काम (गम्मीर क्षति) में 90 डेसिबल्स से अश्रिक हो श्रयवा दोनों हो कानों से बिल्कुल सुनाई न पड़ता हो।

#### चलन विकलांगता

इसो प्रकार अस्यि जिकलांग व्यक्तियों के लिए स्वीकृत परिभाषा एक समान नहीं है न्यों क सभी अस्यि विकलांग व्यक्ति छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पान्न हैं। लेकिन नौकारेयों में ब्रारक्षण की मुविधा केवल उन अस्यि निकलांग व्यक्तियों को दो जाती है जिनकी विकलांगता ज्यूनतम 40 प्रतिक्षत हो।

## राज्य सरकारों में शिवति

विभिन्न राज्य सरकारों ने भी विभिन्न प्रकार की परिभाषानं अपना रखी हैं। उवाहरणार्थ तमिलनाडु सरकार ने एक नेल से हीन व्यक्तियों को दृष्टिहीनों की ही श्रेणी में रला है और राज्य सरकार के अधीन नौकरियों में आरक्षण सिहत अन्य रिवायतों एक नेल से हीन व्यक्तियों को भी प्रदान को हैं। दूसरी खोर केल सरकार ने घोषणा की है कि एक बांख वाला व्यक्ति जबकि उसकी दूसरी धाल की दृष्टि धच्छी हो, तो चिकित्सा की दृष्टि से बयोच्य नहीं माना जाएगा खौर उन नौकरियों के लिए उस पर विचार किया जा सकता है जिनमें नौकरियों की बरोजानुसार विद्यायामी दृष्टि का होना बरोक्षत न हो।

परिभाष्ट 3 दृष्टि अति विकलांगता की इसकी जीवता पर याधारित श्रेणियां तथा प्रस्तावित प्रतिज्ञतताः

			addid.
	सभी ग्	(डियों के साव	
	श्रन्छी दृष्टि	खराव वृष्टि	प्रतिशतता क्षति
श्रेणी 0	6/9-6/8		
취에 1	6/18-6/36	6/24 से 6/36 6/60 से जून्य	20 সরিখন 40 সরিখন
घंशी 2	6/60-4/60 या फील्ड ऑफ दीजन	3/60 से श्रुन्य	75 प्रतिशत
manakir	110-20		
dagt 3	3/60 से 1/60 या फील्ड ग्रॉफ वीजन	एफ. सी. 1 फुट पर भून्य तक	100 প্রবিয়ন
	100		
रेणी <b>4</b>	एफ. सी 1 फुट पर मृत्य तक या	एफ. सी. 1 फुट पर भून्य तक	100 प्रतिशत
	फील्ड ग्रॉफ वीजन 100	फील्ड ऑफ वीजन 100	
एक नेच दाने व्यक्ति	6/6	एफ. जी 1 फुट पर	30 प्रतिशत

मृत्यांकन विद्यि वहीं होगी जिसकी विकित्सा जांचों की हैंड बुक सिफारिश की गई है। कैवल 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत और उससे कम की क्षति यंत्रों और उपशर्गों के लिए पात बनाएगी।

क. श्रेणियों और धर्पेक्षित परीक्षणों के बारे में सिफारिणें

1.	संस्तुत वर्गीवारण	32 32 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34	त नराजना के बार न सिंद	भारम	
ऋम सं	. श्रंगी	दाति की किस्म	डी वी स्तर <b>और</b> /या	वाणी विभेद	सति की प्रतिशतना
1.	1	हल्की श्रवण अति	ही बी 25 री 40 ही बी बेहतरकान में	80 से 100 प्रतिणत श्रच्छे कान में	40 प्रतिगत से कम
	2	म <sup>्यम श्र</sup> वण <b>श</b> ति	41 से 55 डी बी वेहतर कान में	50 से 80 प्रतिषन थेहतर कान में	40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत
3.	3	उग्न श्रवण क्षति	56 से 70 थवण क्षति बेहतर कान में	40 से 50 प्रतिशत	50 ਜੋ 75 ਮਰਿਘਰ
4.		(क) पूरा बहरापन (ख) पूरे बहरेपन के समीप	91 डी बी तयाबेहतर कान में इससे अधिक	कोई विभेद नहीं —वही—	100 प्रतिशत 100 प्रतिशत
	-W-W-W	(ग) गम्भीर श्रवणं क्रति	71 से 90 डी बी	बेहतर कान में 40 प्रतिशत से कम	75 प्रतिशत मे 100 प्रतिशत

(परीक्षण सिफारिशों के प्रनुसार एयर-कंडीशन द्वारा 500, 1000 तथा 2000 Hz में अवण का ग्रीसत शुद्ध दोन को ग्राचार न्य

इसके अतिरियत इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि—

- (क) बेहतर कान एक या दो फील्वेंसियों में जब श्रवण का केवल एक ब्राइलैंड हो तो इसे कुल श्रवण क्षति सपञ्जा जाना चाहिए।
- (ख) जब भी 3 पीवर्वेसियों (500, 1000, 2500, Hz) में से किसी में कोई प्रत्युत्तर नहीं (एन आर) हो तो इसे विकलांगता के वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए तथा औसत को निकालने में 130 डी बी के बराबर समझा जाना चाहिए। यह इस तथ्य पर आधारित है कि प्रधिकांश धाडियोमीटरों में अधिकतम तीयता सीमाएं 110 डी बी की हैं और कुछ प्राडियोमीटरों में परीक्षण के लिए + 20 डी बी की प्रतिरिक्त सुविधाएं हैं।

- विकलांगता की श्रेणियों के बारे में सिफारियों (श्रवण क्षति-केवल शारीरिक पहलू—संस्तुत प्रीक्षण)
  - (क) शुद्ध टोन धाडियोमीटर (ब्राई एस श्रो झार 82-1970) जिसे अधिकांश झाडियोमीटरों में बतंमान में आडियोमीट्रिक मानक के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। इसलिए परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले धाडियोमीटरों की तदनुसार होता चाहिए। श्रेणीकरण के लिए एयर-कंडीयनरों (ए.सी.) हारा 500, 1000 तथा 2000 पर तीन कीक्वेंसी श्रीसत का प्रयोग किया जाएगा।
  - (ख) जब कभी संभव हो, विशुद्ध टोन आडियोनीट्रिक परिणामों का संपूर्ण वाली विभेद स्कोर—जिसकी जांच सनसनी स्तर (ए एन एल) जैसे वाणी विभेद संबंधी जांच रोगी के कणंद्वार के—डीबी क्रपर की जाती है, द्वारा किया जाना चाहिए। प्रयुक्त उत्थेरक या तो भाषा विशेष का दूरभाषीय सतुलन शब्द हो अथवा इसके समकक्ष सामग्री के रूप में हो। इस समय जांच की दृष्टि से केवल कुछ भारतीय भाषाओं को ही मानक वाणी सामग्री प्राप्त है। अतः जहां कहीं मानकीकृत सामग्री जन्मुक्लध्य हो, तो एसी स्थिति में अभेजी जाने वाली जनसंख्या के लिए समकक्ष सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है।
  - (ग) जहां कहीं बच्चों की जांच की जा रही हो और प्योर टोन ब्राडियोमेट्री सम्भव न हो तो मुक्त क्षेत्र जांच कः प्रयोग किया जाना चाहिए।

ख. पुनर्वास के लिए विकलागों को दो जाने वाली सुविधाओं के बारे में मजाय

श्रेणी 1 कोई विशोप लाभ नहीं

श्रेणी 2 नि:कुल्क ग्रथना रियायती दरों पर केवल श्रवण सहायक यंत्रों पर विचार

- श्रणी 3 श्र-ण सहायक यंत्र नि:गृल्क श्रथना रियायती दरों पर—नौकरी में श्रारक्षण—निशेष रोज-गार कार्यालयों के लाभ, स्कूल में छातवृति— एकल भाषा फार्मुला।
- भेगी 3 श्रवण सहायक यंत्र—ग्रारक्षण के ताम—विशय रोजगार कार्याजय—स्कूलों में छात्रवृत्ति की विशेष भुविद्याएं, श्रवण सहायक यंत्र—तिभाषा कार्मूले सं छूट (संस्तुत एकल बाषा में ग्रह्ययन वृद्ध)

यह महसून किया जाता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (ग्राई छोई) एवं ग्रान्थ हों।, ग्रीद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ग्राई टो ग्राई) एवं ग्रान्थ संस्थानों द्वारा चलाए जा रहें पाठ्यक्रमों की विजेष श्रेणी के ग्रान्थ प्रयोग पर विचार के मामले में सीटों पर भारताण का विचार केवल 1 ग्रीर 2 श्रेणियों के लिए किया जाना चाहिए बचात कि पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित ग्रन्थ गैंकिक मनिदंड पुरा करते हों।

हमने विभिन्न प्रकार के श्रवण संबंधी दोषों यथा कार्यात्मक बनाम संवेदनात्मक न्यूरल पर विचार किया है और इस बात पर सहमति व्यक्त करते हैं कि विकलांगता का निर्णय रेफरल और परीक्षण के समय रोगी में मौजूद स्थितियों के धनुसार किया जाएगा। शत्य चिकित्सा अथवा धन्य उपचारात्मक कार्य-कलायों के असफल होने की स्थिति में रोगी पर विचार किया जाएगा और उसका श्रेणीकरण संस्तुत जांचों के शाधार किया जाएगा।

#### परिणिष्ट 5

विकलांगताओं के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश

# (1) चलन विकलांगता

#### 1.1 ऊपरी अंग

- स्थायी क्षति का आकलन कार्यात्मक क्षति की मापन पर निर्भर करता है और यह एक व्यक्तिगत राय की अभिव्यक्ति रही है।
- जब रोग विषयक स्थिति स्थिर तथा अपरिवर्त-नीय हो तब आकलन तथा मापन किया जाना चाहिए।
- ऊपरी अग्रांग को दो घटक हिस्सों—-भुजा घटक तथा हस्त घटक में बांटा जाता है।
- मुजा घटक के कार्य-हानि मापन में गति क्षमता, पेश्री तथा समन्वित कार्य शामिल हैं।
- 5. हस्त घटक के कार्य-हानि का मापन बोध, अनु-भूति और शक्ति का निर्धारण करने में होती है। बोध के आंकलन के लिए प्रतिकूलता, पाश्विक चुटकी, सिलिन्डरी पकड़, गोलीय पकड़ तथा हुक पकड़ का मूस्यांकन करना पड़ता है जैसांकि प्रोफार्मा के "बोध घटक" के कालम में दर्शाया गया है।

 सम्पूर्ण अग्रोग की क्षति दोनों घटकों की कार्या-त्मक क्षति (कमी) पर निर्भर रहती है।

#### भाजा घटक

भूजा घटक काकुल मान 99 प्रतिशत है। जोड़ों की मतिजनित के दायरे के मृल्योकन ने सिद्धाना

 मुझा घटक में अधिकतम आर औ. एम. का मान 90 प्रतिणत है।

 भुजा के तीनों जोड़ों में से प्रत्येक ओड़ का भार बरावर (30 प्रतिशत) है।

## सदाहरण :

दाहिन कंधे के जोड़ का एक अस्थिभंग (फ्रेंबचर) गतिणवित के दायरे को प्रभावित कर सकता है इसलिए वह सकिय अपवर्तन 90 प्रतिशत है। बायों कंधा 180 प्रतिशत के एक दायरे को प्रदर्शित करता है। इसलिए ুুুুুুুু कंचे के अपवर्तन संवालन में 50 प्रतिशत की ्क्षति होती है ्रीमुजा बटक की प्रतियातता क्षति। 50 × 0.30 अथवा मुखा घटक के लिए गतिशक्ति 15 प्रतिशत है।

यदि एक से अधिक जोड़ शामिल हैं जो वही पढति सागू की जाती है तथा प्रभावित जोड़ों में से प्रत्येक जोड़ की क्षतियों को जोड़ दिया जाता है। अर्थीत्:---

क्षे के अपवर्तन की क्षति

== 60 প্রবিশব

कलाई के विस्तार की क्षति

= 40 प्रतिशत

अयः भुजा के लिए गतिशक्ति के दायरे की

श्रति = (60×0.30) + (40.×0.30)

= 30 प्रतिशत

मेशियों की शक्ति के मूल्यांकन का सिद्धान्त

 पेशियों की शक्ति का परीक्षण 0.-5 श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) जैसे इस्त-परीक्षण द्वारा किया जा सकता है।

2. हस्त-पेशी श्रेणीकरणों को प्रतिशतता दी जा सकती है, जैसे :

0	-	100 प्रतिशत
1	202	80 प्रतिशत
2	Marca .	60 प्रतिशत
.3	==	40 মার্থল
4	84	20 प्रतिशत
5	===	0 प्रतिशत

- ा. पेशी शनित वार्ति की मध्य प्रतिशतता को 0.30 समुका किया जाता है।
- 4. यदि एक जोड़ से अधिक की पेशो शक्ति में झति रही है तो मानो को जोड़ लिया जाता है जैसा कि गति-शक्ति के दायरे की क्षति के लिए बताया गया है।

समन्वित कार्यों के मूल्यांकन के सिद्धान्त :

- 1 समन्वित कार्यों के लिए कुल मान 90 प्रतिश्वत होता
- 2. दस अलग-अलग समन्वित कार्यो का परीक्षण करना होता है, जैसा कि प्रोफार्मा में दिया गया है।
  - अत्येक कार्य का मान 90 प्रतिशत होता है।

भुषा वटक के लिए मानों को मिलाना :

1. भुजा घटक की कार्य-शक्ति की क्षति का मान संचलन के दायरे के कार्य की हानि का मूल्य के मानों, पेशी शन्ति तथा समन्त्रित कार्यों को मिलाकर प्राप्त किया जाता है और इसके लिए मिलाने वाले निम्नलिखित सुब नत प्रयोग किया जाता है:—

		<b>好 (90——</b> 事)
布		90
जिसमें क	-	उच्चतर मान
तथा ख	-	निम्नतर मान

उदाहरण :

हम कल्पना करें कि दाहिने कंग्ने के जोड़ में अस्बिशंग (फेक्चर) वाले एक व्यक्ति की भुजा में 16.5 प्रतिशत गतिशक्ति के अतिरिक्त 8.3 प्रतिशत पेशी शक्ति की कति और 5 प्रतिशत समन्वय-काति है। हम इन मानों को इस प्रकार मिला लेते हैं:---

संचलन का दायरा : 16.4 प्रतिशत

पेशियों की शक्ति: 8.3 प्रतिशत

5 (90-23.3)

समन्वय: 5 प्रतिशत 23.3+--= 27. 0 प्रतिशत

अतः भुजा घटक का कुल मान = 27.0 प्रतिशत इस्त घटक

इस्त घटक का कुल मान 90 प्रतिशत है।

हाय की कार्यात्मक क्षति की बोध की क्षति के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।

बोध के मूल्यांकन के सिद्धान्त :

बोध का कुल मान 30 प्रतिशत है। इसमें शामिल है:

(क) प्रतिकूलता (8 प्रतिशत) जिसका परीक्षण निम्नलिखित अंगुलियों से किया जाता है:---

तजैनी (8 प्रतिशत ) मध्यमा (2 प्रतिशत ) अनामिका ( 2 प्रतिभत ) तथा कनिष्ठिका ( 2 प्रतिशत )

- (ख) पार्श्व चुटकी (5 प्रतिशत ) जिसका परीक्षण रोगी को एक चाबी पकड़ने से किया जा सकता है।
- (ग) सिलिन्डरी एकड़ (6 प्रतिशत) जिसका परीक्षण निम्नलिखित के लिए किया जाता है:--
  - (क) 4 इंच के आकार की दड़ी वस्तु (3 प्रतिशत)
  - (ख) एक इंच के आकार की छोटी वस्तु (3 प्रतिशत)
- (घ) गोलीय पकड़ (6 प्रतिशत ) जिसका परीक्षण निम्नलिखित के लिए किया जाता है:--
  - (क) 4 इंच के अ.क.र की बड़ी वस्तु (3 प्रतिपात)
  - (व) 1 इंच के प्राकार की छोडी वस्तु (3 प्रतिवत)

781 GII95-3

(इ) दुक पकड़ (5 प्रतिज्ञत) जिल्ला परीक्षण पांगी से एक पैला उठाने के लिए कहकर किया जाता है। प्रमुक्तियों के मूल्यांकन के सिद्धाला:

वनुभूति का कुल मान 30 प्रतिशत है। इसमें शामिल हैं:

- 1. अंगूठे के बाहर की श्रीर (4.5 प्रशिशत)
- 2. अंगूठे के अन्दर की ओर (1.2 प्रतिशत)
- 3. प्रत्येक अंगुली की बाहर की श्रीर (4.8 प्रतिशत)
- प्रत्येक अंगृली के अध्यर की तरफ (1 2 प्रतिकात)
   प्रक्ति के मृत्यांकन के सिद्धान्त

णक्ति का कुल मान 30 प्रतिशत है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:--

- 1. पकड़ शक्ति (20 प्रतिशत)
- 2. चुटकी शक्ति (10 प्रतिशत)

शक्ति का परीक्षण हाथ से उायनामोमीटर या चिकित्सीय पद्मति (पकड़ पद्मति) द्वारा किया जाएगाः

निम्नलिखित बातों की 10 प्रतिवृत प्रशिक्ष मङ्कल दिया बाता होता है:---

- 1. संक्यण
- 2. विकृति
- 3. श्रलाइनमेंट का ठीक न होना
- 4. सिक्ड़नें
- 5. ग्रसामान्य गतिशीलता
- 6. प्रभावी सम्रांग (४ प्रतिशत)

इस्त घटकों के मानों की जोड़ना

हस्त घटक केकार्य कीक्षति का ग्रन्तिम मान, बीध की क्षति केमानों की जोड़कर प्राप्त किया जाता है। भग्नाय के लिए मानों की जोड़ना

भजा घटक की क्षति तथाहस्त टक को श्रांति के मानों को मिलाने केसूत्र काप्रयोग करके जोड़ा जाता है।

उदाहरण:

भजा की क्षति -- 27.0 प्रतिशत 27. (90-64)

64----= 71.8 अतिशत

र क्त क्षति--64 प्रतिशत 90

निचले संगों में स्यायी शारीरिक क्षति के मूल्यांकन के लिए विशानिवेश

निवले धर्मांग को दो घटकों ग्रयांत् गतिशीलता घटक स्रोर स्थिरता घटक में विमाजित किया जाता है।

विश्वीवता बटक

विश्वीनता पटक का अंत भाग 90 परिवात है। वहर्य संचयत का दायरा और पेकी मन्ति ग्रामित है। संचलत के दायरे के मुख्याकत सिद्धानतः

- । गतिशीनता के धड़क में संवलन के अधिकतम अगरे का मान 90प्रतिशत है।
- तीनों जोड़ों प्रणांत् कृत्सा, बुटना, टखना घटक में प्रत्येक का भार बरावर है — 0,30

#### Gale Cal :

दाहिए भून्हें के जीव के प्रतिकार (फॅनचर) ए जार ह दावरें की प्रभावित कर उकता है इसिक्स वार्ट सिक्स प्रय वर्षेस 27 है। वायों कृष्ट्या 54 के तिक्रम प्रयवर्षन के दावरें की प्रवीमत करता है। इसिक्स वाहिने कृष्टें के प्रयवर्तन संचलन में 50 प्रतिभात की भ्रांत होती है। कृष्ट्रें में गतिभीलता घटक की प्रतिभावता शति 59. × 0.30 या गतिभीलता घटक के लिए मार्त्रशिक्त की 15 प्रतिभाव कति है। प्रति एक से प्रतिक जीव प्राधित हो, तो दही प्रक्रिया प्रभाव काए तथा प्रयोक प्रभावित बाड़ों की भ्रतिमा की व्यक्त विद्या जाता है।

# खदाइरण के बिए :

क्लू के प्रपत्नतंत्र की खाति = 60 प्रतिकृत युटने के विस्तार म क्षति = 40 प्रतिकृत गतिभीनता घटक के लिए शीत-शक्ति के मृत्यांकन का सिकान्त (40 × 0.30) = 3%

पेशियों की शक्ति के मुख्यांकन के सिद्धान्त

- पैर में अधिकतम पेकी शनित के लिए तान 90 प्रतिकृत है।
- पेशियों को शक्ति का परीक्षण 0-5 विशोजरण (ग्रेडिंग) जैसे हस्त-परीक्षण द्वारा किया जा सकता है
- हस्त-पेशी श्रेणीकरणों की प्रतिशतता दी जा सकी
   तैते:

श्चेगी 0	= 100 प्रतिशत
श्रेणी ।	= 80 অবিসান
श्रेणी 2	≃ €0 प्रतिशत
बेणी 3	== 40 प्रतिभत
श्रेणी व	== 20 Stags
ณ์ช์ <b>โ</b> ธ	= 0 Thans

- 4. पेगी मित क्षति का माध्य प्रतिषतता का 0.30
   से गुणा किया जाता है।
- 5. यदि एक जोड़ से अधिक की पेशी प्रक्रित में क्षति रही है, तो मानों की जीड़ लिया जाता है जैशांकि गति प्रक्रित के दायरे की खति के लिए बताया गया है।

मारिक्षिक अल्फ ने किए मार्चे को विकास :

हम बलामा धर्ने (ते क्षित्रे को केलोह में प्रस्थि-ंच (पंतन्तर) राधे अपनित क रंग में राव अतिकार पतिवानित क अतिरिक्त व विभिन्न चेकी अधित की सावि है।

इन पानीं की मिहाकर

र्रात्मादित १ ६ प्रात्या 6 (+0--16)

afta safana 90

णव क = उच्चतर स्था, ख == विश्वतर मृत्य

विश्वयता भटक .

े स्थिरता घटक का बुल मूख्य 90 प्रतिशत है।

- इसका नगीक्षण को वसिवधी से किया जाता है।
- (1) स्केन पद्धति वर शामिरत
- (1) निकिसीय पद्धांत पर माधारित

भून परीत के बाद को लोकत के बिल् लोन विदेश ांकि (किलोबान में) की जाती हैं। स्केल "क" तथा रकेल 'ल' शीडम ।

नेष्ठतक (स्वाहन) की स्थापी गारीरिक क्वति के मुल्यांकन के लिए विशा निर्देश :

नेक्ट की श्रतियों के स्थानीय प्रमानों की श्रातिय सीर ों क्वितील अतियों में बांटा का सकता है।

ातित्र जित्यां

प्रोबः मेरूरण्ड ग्रस्थित्रर (प्रोबनर)

प्रतिशत तम्पूर्ण शरीर में स्थायी शारीरिक क्षति तथा सम्पूर्ण प्रीर के पारीरिक कार्य को अधि

- क. कशेशक स्पीडन (बर्डकल काँग्रेमान) 25 20 प्रतिशत, एक या यो कशेरक धासन्त बातुए, कोई विखंडन नहीं, पान प्रवयव गामिल नहीं, कोई तंत्रिका मूल शामिल नहीं, सामान्य ग्रीवा ब्रह्ता तथा लगातार
- स्य नामान्य धाणिक विकासन के पत्र्य शवयय एक्स रे प्रभाण के साथ
- · (क) कार् तालका मृत नहीं 15
  - (ब) जगातार दर्व के साब, धनन उपार्ववेदी 25
  - (च) विकासन (पन्तन) के साथ, ठीवा हो। 20 ताता, कोई स्थायी जनन का संवेधी परिवर्तन वहीं

ग. तीत्र निस्थापन, मल्य जिल्यन के साथ सामान्य से अच्छा घटाव ।

- (ग) कोई अपिष्ट चलन या संवेदी परि-वर्तन नहीं
- (ख) बिल्यन के ताथ भामलू घटाव, लगा-35 तार युनांकुरीय दर्द, केवल चलन उलझाव, योड़ी सी कथजोरी तथा सुन्नता
- (ग) चैसाकि जपर्युक्त (ख) में दिया है तथा आक्षामाँ तथा प्रवरीविनियों के प्रयोग की हानि के लिए मतिरिक्त रेटिंग निर्धारित करना ।

ग्रीया जंतरामधीरक डिस्क

- कियात्मक, सफलतापुर्वक डिस्क को हटाना, 10 तीत्र पीड़ा सं धाराय, कोई विलयन नहीं, कोई तंत्रिका संबंधी प्रविशष्ट नहीं।
- 2. जैसा कि उपर्युक्त (1) में दिया गया है, तविकीय प्रभिन्यवितयां, लगातार दर्दं, सुन्नता अंगुलियों में कमजीरी

वसीय तथा पृष्ठ-काँट मेरदण्ड डिस्क श्रस्थिभंग प्रतिशत संपूर्ण शरीर में स्थायी णारीरिक कति तथा सम्पूर्ण शरीर के शारीरिक कार्य की

- क. संबोधन 25 अलियत, एक या दो क्योरक 10 वस्पुएं, भंद, कोई विखंडन नहीं, रोग मुक्त कोई तंत्रिकीय घभि यक्तियां नहीं
  - ख. संपीदन 25 प्रतिशत, कोई तंत्रिका मूल शामिल नहीं, लगातार दर्द, विलयन, निर्दिष्ट
  - ग. पीठ में जैसा कि उपर्युक्त (ख) में दिया 20 गया है, विलयन के साथ, केवल भारी प्रयोग की स्थिति में दर्द
  - भ. पूर्ण लकवा 100
  - ह. पात्रवे धवयन, विलयन रहित धववा सहित, भाशिक अकवा, भग्नीगों और ग्रवरोधनियों के प्रयोग की छाति के लिए मृल्यांकन किया जाना चाहिए

कमर के नीचे:

- ा प्रस्थितंत (क्रेक्सर)
  - क. कलेक्क संवीडन 25 प्रतिशत, एक या दो धासन्य क्योधक वस्तुएं, कम या खंडन, कोई निरिचत पेटमें सथवा अधिकीय परिवर्तन

5% 10%

	J. 111D	A . EXTRAORDINARY	[PART	II SE	c. 3(i)]
ख संपीडन पाण्वं धवयन खंडन सहित, लगातार	_	गैर शतिज क्षतियां		Victoria de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición de	Michigan rhagan ten
दर्द, कमजोरी और सख्ती, रोग मुक्त, को विलयन नहीं, 25 पोण्ड से श्रव्यिक मार	ŧ	मेकदण्ड की पार्श्वकुतजाता			
नहीं	40	सम्पूर्ण मेरदण्ड को 10	0 प्रतिशत की	मल्यांकत	वर प्रवान
# ## 6= (=) * 6= - 1 .	40	की गई है भीर क्षेतवार प्रतिष	मतता निम्न इ	कार दी ग	र्क है :
ग. जैसा कि (ख) में दिया गवा है, विलयन सिंहत रोग मुक्त, इल्का दर्द	904	प्ष्ठ मेस्दण्ड	- 50	प्रतिशत	
	25	कटि मेरुदण्ड	- 30 1	Signatur	
घ. जैसा कि (ख) में दिया गया है, निचले		ग्रैव मेरुदण्ह	- 20		
मप्रांगों को तीलका मूल शामिल, ग्रग्नांगों को मौद्योगिक स्नति के लिए मतिरिक्त मुल्यांकन निर्घारित करना।		खड़ी स्थिति में वक्र कोण विधि का उपयोग किया जाना बांटे गए हैं:	को नापने	के लिए	भोय की समूहों में
ः जैसाकि (ग) में दिया गया है, पाप्रवं		se se	980	200	
अवसवों के खंडन सहित, विलयन के पश्चात			ग्रेन भेरदण्ड	वशीय मेरुदण्ड	कटि मेशदण्ड
लगातार दर्द, तंत्रिका संबंधी कोई लक्षण		30 % से कम (सामान्य)	2%		
नहीं	35	31 से 61 (मध्यम)		15%	8 20
च. जैसाकि (ग) में दिया गया है निचले		80 से अधिक (गम्भीर)			12%
अग्रोगों को तंत्रिका मूल शामिल, ग्रग्रागों			5%	25%	33%
की झति के साथ मूल्यांकन		60 से अधिक दक्र होने प	र, काडिया पु	लमानरी स	मस्यान्त्री
छ. सम्पूर्ण अधरांगघात		को अलग से श्रेणीवद्ध किया व पर निर्भर रहते हुए संधि वक्रो	गोनाहा वक्र गेंग्रोर तल को	क शाप	के रसर
	100	च्दाहरण के लिए यदि पृष्ठ-का	। कः वहुनः देवद्राका क	णा दाओ निर्मियक्ट के	ना हा
ज. पश्च अवयव, विसयन सहित या रहित, भाशिक पक्षाचात, प्रश्नोगों तथा अवरोधि- नियों के प्रयोग की स्नति के लिए मूल्या- कन किया जाना चाहिए।		पड़ता है तो बक्त को पृष्ठ वर्य है । मेरूदंड की पार्श्वकुब्जता व जाती है तो ग्रंतिम मृत्यांकन में	क के रूप में ी पर्याप्त रू ं 5 % की क	माना जा प से क्षति मीकी जाए	सकता पूर्तिहो र (सभी
2. तंत्रिका अनित पीठ के निवले ड्रिस्से में दर्द- ति	-डिस्क	मृत्यांकनों के लिए प्राथमिक व किया जाता है)।	कों पर मूल	यांकन हेतु	विचार
		काईफोसिस			
<ul> <li>क. गारीरिक परिसीमा और तेज दर्द के साथ तेज एपिसोड तथा लगातार शरीर में झुकाब नितम्ब दर्द के लिए परीक्षण, 5 से 8</li> </ul>	,	वही कुल मूल्यांकन (100 मुझाया गया है, कोईफोसिस हेर् से विकलांगता की क्षेत्रवार प्रा	विया जाए	। शारीरि	S EU
विन में अस्यायी भारोग्यता	5	पृष्ठ मेहदंड	3 4 d d d		
छ. डिस्क का शस्य किया विधि से उच्छेदन		पीवा मेरुदंड			50%
कोई विलियन नहीं, मच्छे परिणाम, कोई		कटि मेक्दर			30%
नितम्ब वर्षं नहीं	10	पुष्ठ मेस्दंश के लिए निम्न	e.c		20%
ग. डिस्क का मल्य किया विधि से उच्छेदन,	10	पूष्प मध्यक के लिए लिस्स 20 से कम	ालाबत भाष		
कोई विलयन नहीं, मारी बोझ एठाए		21 - 40			10%
जाने के फलस्वरूप लगातार क्रस्का दर्वे		41 - 60			15%
धौर सब्दी, कार्यकलापों में धावण्यक वृद्धि	20				25%
<ol> <li>विसयन सिंह्त डिस्क का माल्य किया विधि से उज्जेदन, भार उठाए जाने संबंधी वित-</li> </ol>		कटि तथा ग्रेंड मेस्टंड के व 5% तथा 7% निर्धारित कि	या गया है।		
विधियों में बामूली सुधार	15	पृष्ठ तथा कटिं मेरुवंड का प पक्षाचात	लेक्सोसं ग्री	र एक्टेन्सोर	र्धे का
<ul> <li>विलयन सहित डिस्क का शस्य किया विधि से प्रच्छेदल, मारी बोझ उठाए आने के</li> </ul>		इन पेशियों की प्रेरक शर्वि जाए:-	त निम्नानुस	ार वर्गीकृत	ा नी
फलस्वरूप लगातार दवं ग्रीर सब्दी में		मामान्य		144	
वृद्धि, मारी बोझ एठाए जाने संबंधी सभी		दुर्व <b>ल</b>		5	%
कार्यकलापों में सुधार की ग्रावण्यकला	25	<b>रक्षाभात</b>			0%

- fannys	M1471 -461 43	क्षांच्या शस्त्राह्य ।	
भीता बेह्नदेश की विकास का वजान जिस केन्द्र करेंद्र की विकास का वजान			Contracting and
निम प्रेयक प्रतित की क्ष्यांच्या गर है।	स्थामशोऽ है : सम्बद्धः इत	3. ाक व पांडक वस में वारोक्टोन:	or new 20
<i>ाम</i> स्थाप	in general	में अर्थीक अप की प्रशिक्षतता को विना ज 10 प्रशिक्षत और औड़ स्थि जाता है	ाता है तथा
पंचेयसोसी	5% 10%	पेर का जमका अथवा अंगुनिया <b>शामि</b> र	लाकन जब : इ.स.च्या
United the second	2.4	स्थल 5 प्रतिलव कोउना होता !	1 El 37
7.6	5% 10%		
NE externa	5% 10%	<ol> <li>प्रकड्न, तिवका, संक्रमण इत्यादि समस्या के लिए कुल 10 प्रविश्वत धाति</li> </ol>	भे रूप में वि
	5% 10%	जाना है।	रक्त और प
विविध		1	
भेक्यंड की इन श्रितियों की, जो स कर कारण होती है, जा गुरुवंकन श्रीचे ह	का तथा स्ट इत्यादि स्यान्याः हेः—	<ol> <li>प्रमुख कपरी अंग के लिए 4 प्र प्रतिशतता दी गई है।</li> </ol>	तिज्ञत की ग्रा
	<b>गा</b> नीरिक	अपरी जंग का विच्छेतन	
	विक्यांगृहा		स्थावा
	ना प्रतिकात		शारीरिक
(क) रहें के दारतांकक प्रथम, 🛴 को कर	**		विकलांगः
प्रभा भ जोई सार्यका बंदी सवाब	200 Maria (1980)		तया प्रत्ये
रो वियोग्यान विशेष्याच्या र प्रारम्भ	7		वंग के
गरी क्रिक का ग्रह्म			वास्तक्षिक रूप से क
(भ) वर्ष, विकेश समाताल आकृत्य कर	n w.D.		करते थे
The state of the s			कसी व्ह
वाजनित परस्तिमें हारा अमानित ह	San Company		धति शतवा
<b>भा</b> सका है।		!. अप बोबाई <b>जिल्ला</b> मता	100 মবিধা
(अ) जीवा का (क) में महता बचा है, तबा	v a nG	2. कही में घरिष भंग	
सामान्य रेवियोसॉजीकथ परिवर्तनो 🕏	10 प्रतिश्वत		90 प्रतिसर
साथ		<ol> <li>शहनी में ऊपर मूजा के 1/3 कपर</li> </ol>	१५ प्रतिश
(४) भैसाकि (ा) में दिना गया है, मध्योत	60	44:	
प्रविद्यालय विकास प्रारंभिक प्रारंभिक स्थान		ं मृत्यों ने कपर भूजा के :/3 नीचे	un oferm
मन्दर के विसो एक किस्से में (धोवा		0.0	A D SERRING
५०० सम्बा कांड)	20%	5. कुहुनी में प्रस्थितन	100000000000000000000000000000000000000
(क) जैसा कि "घ" में दिया गया है, पूरा	30 মনিমূল		7.5 प्रतिशत
मेस्यण्ड माभिल	on signic	6. कुहनो से नीने बद्ध मुजा के 1/3	70 प्रतिशत
	www.carwe	ऊपर तक	-100203000000000000000000000000000000000
काइफो-पार्खकुरुवता में योगी बक्षी का झ	लग से गुल्यांफन	7. कुहनी के नीचे धम्र मुखा के 1/3	
ह्या जाए और फिर विकलांगता की प्रति। ए।	शतता को बोदा	नीचे तक	65 प्रतिमत
124.54		8. गुहुनी में प्रस्थि पंत	
धार्मो (एप्पुटीच) व स्थावी <b>या</b> चीर्क <b>मंकित के निए</b> विवासिटीच	विभागांचतः के		e e अति शत
र विकार विकास		<ol> <li>आर्थेल धरिषयों द्वारा हाव</li> </ol>	5.5 प्रतिशत

far. मुख्य म्स विशा निर्वेश

1. प्रतिक लिलांगों के सामले में, यदि स्थायी शारीरिक विकलांच प्रतिशतता का जुन बोग 100 प्रतिशत से प्रधिक है तो इसे 100 प्रतिपत्त पातना चाहिए ।

 प्रतिमा प्रोमी की मारीर में सम्मा और जनना प्रश्वीम करने पर ठीक ए ही वाको जिन्छ कहा से किसी स्वर पर अंगोणकेंद्रा की 100 जीववह स्थामी शारीरिक विक्वावता यातना वाहिए।

मामने **उसमें** केवल agi

किसी बोहा

िंका

ता त्येक वार्व 81 īa 55 प्रतिशत 10. एम.सी. द्वारा ग्रंथवा प्रवस एम.सी. 30 প্রবিদ্ধন जोड़ हारा अगूठे में धास्यमंच 11. इटर-मेटाकार्याविभियव जोड् द्वारा अथवा 25 अतिभव समीपस्य समुलास्य द्वारा अंगुडे मे - Cenin

 शतर व्यक्तारिय आह श्रवना दृशस्यः अंग्लास्थि वारा अंग्रे में धरिश्यम

15 415 mm

		तार्वनी	मध्यमा	ग्रमा- गिका	कति- णिका
			-		
13	मध्य अंगलाध्य द्वारा श्रंगो— खेदन झरवा एम.पी. जोड़ द्वारा झस्च- भंग	15%	5%	3%	2%
14	मध्य अंगुलारिथ द्वारा अंगोण- छेदन प्रथवा वी.श्राई.वी. जोड़ के द्वारा श्रस्थिमंग	10%	4%	2%	1%
15	दूरस्य अंगुलास्य हारा श्रंगीक प्रेवन प्रथना श्री.माई.पी. जोड़ द्वारा अस्थिभंग	5%	2 %	1%	1%

#### निचले लंग का अंगोध्छेदन

1.	पश्च चौपार्ड	100%
2.	निप ग्रस्थिमंग	20%
3.	बुटने से कवर जांच के 1/3 उपर तक	85%
4.	बुटने से ऊपर जांच के 1/3 नीचे तक	80%
5.	घुटने द्वारा	75%
6.	बी.के, 8 से.मी. तक	70%
7.	बी.के. टांक के 1/3 मीचे तक	60%
3.	टखने द्वारा	55%
9.	साइमेज	50%
10.	मध्य पेर तक	40%
11.	भव पैर तक	30%
1 2.	मधी पर की बंगुलिया	20%
1 3.	वै द भी पहली अंगुली की स्रति	10%
1 1.	ंं को दूसरी अंगुली को स्नति	5%
15.	पैर को तीसरी संगुली की क्षति	4%
1 6.	पैर को चौथी अगुली को श्राति	3%
17.	पैर की पांचवीं अंगुली की श्रति	2%

तक्रिका सर्वधी परिस्थितियों में कारीरिक हुन ने विश्वभागता का पृत्यांकम करने के लिए विश्वानिर्देश

- एडिका संबंधी प्रिटिमिटियों में पुरुषांक्य करना बीवादी का मुख्यकन यहाँ हो । परम्यु यह प्रभामी प्रथात प्रमीतिकल विश्वकरितायों का मुख्यक्य है।
- कोई वंशिका संवधी मध्योगन प्राप्यम से कि स्वृत् नक करना पहला है।
- इन दिशा निर्देशों का प्रयोग देवन मध्य तथा क्वरी मोटर तक्षिका संबंधी क्षतियों के मृत्याकन के लिए किया जाएगा।
- 4. प्रोफार्मा "क" तथा "च" का उपयोग निवले मोटर तंत्रिका संबंधी क्षतियों तथा गेणी का अञ्चयस्थित होने तथा अन्य यसन संबंधी परिन्थितियों के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा।
- तंत्रिका संबंधी रिथतियों में भारीरिक रूप रे विकासता
   की कुल प्रतिमतता 100% से अधिक नहीं होगी !
- 6. मिलित मामलों में प्रश्वतम स्कोर पर विचार किया जाएगा। निम्नतम म्कोर इसमें जोड़ा जाएगा और क्याना इस सूत्र द्वारा की जाएगी: -----

7. 4 % की अतिरिक्त दर प्रवान वयांगों के लिए दी जाएगी।
8. 10% की अतिरिक्त प्रत्येक अधाय में संवेदन के लिए अतिरिक्त 10% दिया गया है किन्तु अधिकतम कुल शारी-रिक विकलाणता 100% से अधिक महीं होगी।

## मोटर प्रणानी विकलायना

	विवल्लामधा ८६
मोनोपरेजित	25%
मोनोप्लेजिया	54%
हेभीपटेसिम	
पेरापेसिस	75%
<b>पेराप्लेजिया</b>	100%
हेमीप्लेजिया	75%
ववाड़ी परेसिस	
ववाड्डी ग्लेजिया	
500	

## संबेदन प्रजाली विक्रमायता

एनीस्थेसिया ]	विकलीयता वर
रेप्सीएवेसिम >	प्रत्येक लग 10%
वेरास्वेशिम ई	*****
मासिल करने के लिए हाप/हाथां/पैर/पेरी का	25%
शामिल करने के लिए	

तिका संबंधी परिस्थितियों में शारीरिक रूप से विक-लांचता का मृत्यांकत करने के लिए विशानियेंग्र 1. तिका संबंधी गरिस्थितियों में मृत्यांकत करना औंधारी

का मूल्यांकन नहीं है। परत्तु यह प्रमाणी अवित् २०ीनिकल अभिन्यक्तियों का मृत्यांकन है।

- 2. की विश्वत नंबंध धुलाकत आरम्भ से शः मा**र्** वक दन्न प्रकार है।
- उन दिशा निर्देशों का प्रयोग केवल मध्य तथा ऊपरी भारत प्रदिक्ता सकती भारती है निस्ताकत के लिए किया आएथा।
- 4 प्रीफामा "क" तथा "ल" का उपयोग निचले मोटर वीं का संबंधी अतियों तथा पेशी का अध्यवस्थित होने तथा अथ्य पत्तन प्रबंधी परिस्थितियों के मृत्यांका के लिए किया
- तंत्रका सक्ती स्थितियों में आशीरक रूप से विक-प्राथत: का कुछ प्रतिभावता 100% से अधिक नहीं होगी।
- 6. मिश्रित मागलों भें उज्जतम स्कोर पर विचार किया आएगा। जिम्बद्धम स्कार इसमें जोड़ा जाएगा और गणना इस सुझ डीच की जाएगी:----

- की अधिकिस दर प्रधास अधामां के लिए यी आएगी।
- ठ. 10% की अतिरिक्त प्रत्येक अग्राम में संबंदन के लिए अतिरिक्त 10% दिया गया है किन्तु अधिकतम कुल शारीरिक विकलांगता 100% से अधिक नहीं होगी।

# वाणी विकलांगता

-	िकलांगता दर
सामान्य	25%
मध्यम	
गमीर	50%
	75%
बाह्य मध्यार	100%

100 शहरों के ४०६व तास परीक्षा नाम् । प्रमुद्ध (जिस्तान में) की पीलाना, पड़ने के बाव उसको समझाना, पाठ्य से प्रकां के लाग्ड उत्तर क्या तथा अमे संजेत में लिकने की पोप्पाता (लिकिसों में)

व्यक्तियो पर्योत्तरी बोधारियों के कारण आर्थभन्य विक-सांगता के मुल्यांत्रान के लिए विशा-पिर्टेण

## पयन्त विज्ञानिर्देश

- भीरेरावदंड म् तर्ग राष्ट्र एखोसिस्त्रन शस्त्राचिक क्षेत्री-करण हैं प्रचित्रक विद्यालयाता है मुख्यक्य के लिए प्रचनीए क्षिण प्रचा राष्ट्रपृत्तं
- विकास का इन तथा है पान नवक होना नाहिए कि में मरीज को विकलानता का दाजा करते हैं वे अपने सक्षणों को ब्यान्नहा कर कहते हैं। याँव कोई संदेह हो तो गरीज को विस्तृत बनोगैजानिक मुख्यांकन के लिए भेजा खादा चाहिए।

- 3. काडियो पुल्मोनरी मरीजों की विक्रशांयता का मुख्यांकन अलक्य पुरी विकित्सा, शब्द विकित्सा तथा पुनर्वास उपभार के बाद किया जाना चाहिए क्योंकि इन अधिकांग बीमारियां की अपनार किए जाने की संभावना है।
- नगडियो पुल्मानरी विकलायता का मूल्यांकन उन बीमारियों में भी करला चाहिए को कार्ट्यो पुल्मोनरी समस्याओं उदाइरणार्थ छिन्नाग, मायोपेश ब इत्यादि से सम्बद्ध हैं।

प्रस्तावित संबोधित श्रेणोकरण नीचे विया गया है. --

समृह 0: काडियो पुन्नोगरी बीमारी से पीड़ित मरोज जो एक लाक्षणिक होता है (प्रयांत जिसमें सांस की कमी, घड़कन, बकान और छाती के दर्द का कोई लक्षण नहीं है) समृह 1: काडियो पुन्मोनरी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जो धपने सामान्य शारीरिक कार्यकलायों के बौरान लाक्षणिक हो जाता है लेकिन उसके सामान्य शारीरिक कार्यकलायों में थोड़ा सा प्रवरोध (25%) ब्रा जाता है। समृह 2: काडियो प्रकानित बीमारी के स्वर्धक निकार

राम्ह 2 : काडियो पुरुषोगरी बीमारी से पोहित व्यक्ति जो अपने सामान्य कारीरिक कार्यकलाओं के दौरान लेकिन उसकी लाक्षणिक हो जाता है और उतके सामान्य भारीरिक कार्यकलायों में 25—50% अवरोध था जाता है।

प्रनुबंध-5

# मानसिक विकृतियां

स्रोत: उनके वर्गीकरण की शक्यावली तथा मार्गदर्शन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक प्रकाशन।

"मानसिक भंदता": मस्तिष्क के ग्रवहद्व अथवा ग्रपुर्ण निकास की वह स्थिति है जिसे थियोष रूप से बृद्धि की ग्रमामान्यना कहा नाता है। कोटि निर्धारण व्यक्ति के ात्मकाल हे बर्लमान स्तर पर इसके कारण-कार्य संबंध के न्त्रमाय जैसे कि मतास्थिति, सास्कृतिक वचन, डाउन के सलक्षण आदि का अपनि रखे जिना किया जाना चाहिए। जहां कड़ी विशेष भागत्मक विकलांगता हो जैसे कि याणी में, दहा चार अंकों का कोटि निर्धारण ज्ञान के मूल्यांवानों पर विश्रंथ विकलांगता का बाहरी क्षेत्र, बाधारित होना बाहिए। बौद्धिक स्तर का मुख्यांकन क्लीनिकल प्रमाण, अनुकूली व्यवहार तथा मनीमितीय निष्कर्णसहित जो भी तुषना उपलब्ध हो इस पर श्राधारित होना चाहिए। दिए गए आई.क्यू. स्तर 100 के माध्य तथा 15 के मानक विचलन जैसे नेच्सल स्केलों के साथ एक परीक्षण पर श्राधारित है। ये केवल मार्गदर्शन के रूप में दिए गए है अतः इन्हें दृहतापुर्वक लाग् गहीं करना चाहिए। माननिकः भंदता में अकार मनोव्यवधान शामिल है तथा हिना शारीरिक बीमारा प्रवदा चीट के परिणामस्याहत विकरित होते हैं। इन मामलों में सम्बद्ध परिस्थित मनोमित्तीय श्रशका शारीरिक बीमारी की पहचान करने के लिए एक अतिरिक्त कोड प्रथवा कोडों का प्रयोग करना चाहिए। विकृति तथा विक्वांवता के कोडों को भी ज्यान में रखना चाहिए।

#### (ख) सामान्य मानसिक भन्वता

कमजोर विचार उच्च ग्रेड कमी सामान्य मानसिक अवसामान्यता

भोरोन साई वय् 50-70

(य) ग्रन्य विशिष्ट मानिसक मन्दता

(1) सामान्य मानसिक मन्दता दम्बेसिल प्राई.क्यू. 35-49

क्रम मानसिक श्वसामान्यता

(2) गम्भीर मानसिक मंदता धाई. म्यू. 20-34

गंभीर मानसिक स्रवसामान्यता

(3) प्रति यम्मीर मानतिक मंबता बाई.क्यू. 20 से कम

अति शंभीर मान-सिक ग्रव-सामान्यता

(व) प्रविनिर्दिष्ट मानसिक मंदता भावसिक कमी एत. जो. एस. मानसिक प्रवसामान्यता एव.को.एव.

## MINISTRY OF WELFARE New Delhi, the 31st March, 1995

#### NOTIFICATION

G.S.R. 316(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act. 1989 (33 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1993.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2 Definitions.-- to these rules, unless the context otherwise requires :-
  - (a) "Act" means the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Provention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989) ;
  - (b) "dependent", with its grammatical variations and cognate expressions, includes wife, children, whether married or unmarried, dependent parents, widowed sister, widow and children of pre-deceased son of a violant of atrocty;
  - (c) "identified area" means such area where State Government has reason to believe that atrocity may take place or there is an apprehension of reoccurrence of an offence under the Act or an area prone to victim of atrocity;
  - (d) "Non-Government Organisation" means a voluntary organisation engaged in the welfare activities relating to the scheduled cases and the scheduled tribes and registered under the Societies Registration Act, 1866 (21 of 1960) or order any law for the registration of documents or such organisation for the time being in force;

- (c) "Schodele" meson the Schedule assessed to these
- (i) "Section" means section of the Ass :
- (a) "State Government", in relation to a Union territory, means the Administrator of that Union Territory appointed by the President under Arricle 239 of the Constitution :
- (h) words and expressions used bersin and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Precautionery and Preventive Measures.—(1) With a view to prevent atroctices on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the State Government shall !--
  - (i) identify the area where it has censor to believe that atrocity may take place or there is an appro-hension of rescentrance of an offence under the Act;
  - (ii) order the District Magistrate and Superintende Police or any other officer to visit the idea area and review the law and order attraction;
  - (iii) if deem necessary, in the identified area cancel the arms licences of the persons, not being member of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, their near relations, servants or employees and family friends and get such arms deposited in the Govern-ment Armoury;
  - (iv) seize all lilegel fire soms and prohibit say illegal manufacture of sire arms;
  - (v) with a view to ensure the safety of person and property, if deam necessary provide arms licences to the members of the Schedulor Castes and the Scheduled Tribes ;
  - (vi) Constitute a high power State-level committee, district and divisional level committees or such member of other committees as deem proper and necessary for assisting the Government in implementation of the provisions of the Act;
  - (vii) set-up a vigitures and monitoring committee to suggest effective measures to implement the provi-sions of the Act;
  - (viii) set-up Awareness Centres and organise Workshops in the identified area or at some other place to educate the persons belonging to the Sceduled Castes and the Scheduled Tribes about their rights and the projection available to them more the provisions of various Countal and State enactments or rules, regulations and schemes framed there under;
  - (ix) encourage Non-Government Organisations for esta-blishing and misintaining Awareness Centres and organisms Workshops and provide them necessary funncial and other sort of assistance)
  - (x) deploy special police force in the identified area :
  - (xi) by the end of every quarter, review the law and order situation, functioning of different committees, pedformance of Special Public Prosecutors, Investigating Officers and other Officers responsible for implementing the provisions of the Act and the cases registered under the Act.
  - 4. SUPERVISION OF PROSECUTION AND SUBMIS-SION OF REPORT :--
  - (1) The Stare Government on the recommendation of the Dirict Magistrae shall prepare for each District a panel of such number of entinent senior advocates who has been in practice for not less than seven years, as if may deam necessary for conducting cases in the Special Courts. Similarly, in consultation with the Director Prosecutionlineharge of the prosecution, a panel of such number of Public Prosecutors as it may deam necessary for conducting cases in the Special Courts, whall also be specified. Both these panels

- shall be notified in the Official Gazette of the State and shall remain in force for a period of three years.
- (2) The District Magistrate and the Director of prosecution, in-charge of the prosecution shall review at least twice in a calendar year, in the mouth of January and July, the performance of Special Public Prosecutors so specified or appointed and submit a report to the State Government.
- (3) If the State Government is satisfied or has reason to believe that a Special Public Prosecutor so appointed or specified has not conducted the case to the best of the ability and with due care and caudiou, his name may be, for reasons to be recorded in writing, denolified.
- (4) The Distric Magistrate and the officer-in-charge, of the prosecution at the District level, shall review the position of cases registered under the Act and submit a monthly report on or before 20th day of each subsequent month to the Director of Prosecution and the Siste Government. This report shall specify the actions taken/proposed to be taken in respect of investigation and prosecution of each case.
- (5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the District Magistrate or the Sub-Divisional Magistrate may, if deem necessary or if so desired by the victims of arrocity engage an eminent Senior Advocate for conducting cases in the Special Courts on such payment of fee as he may consider appropriate.
- (6) Payment of fee to the Special Public Prosecutor shall be fixed by the State Government on a scale higher than the other panel advocates in the State.

# 5. INFORMATION TO POLICE OFFICER IN-CHARGE OF A POLICE STATION:

- (1) Every information relating to the commission of an offence under the Act, if given orally to an officer in-charge of a police station shall be reduced to writing by him or under his direction, and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the persons giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be maintained by that police station.
- (2) A copy of the information as so recorded under sub-rule (1) above shall be given forthwith, free of cost, to the informant.
- (3) Any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in-charge of a police station to record the information referred to in sub-rule (1) may send the substance of such information, in writing and by post, to the Superintendent of Police concerned who after investigation either by himself or by a police officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police, shall make an order in writing to the officer in-charge of the concerned nolice station to enter the substance of that information to be entered in the book to be maintained by that police station.
- 6. Spol inspection by officers.—(1) Whenever the District Magistrate or the Sub-Divisional Magistrate or any other executive Magistrate or any police officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police receives an information from any person or upon his own knowledge that an atrocity has been committed on the members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes within his inristiction, he shall immediately himself visit the place of occurance to assess the extent of atrocity, loss of life, loss and damange to the property and submit a report forthwith to the State Government.
- (2) The District Magistrate or the Sub-Divisional Magistrate or any other executive Magistrate and the Superintendent of Police|Deputy Superintendent of Police after Inspecting the place or area shall on the spot:—
- (i) draw a list of victims, their family members and dependents entitled for relief:

- (ii) prepare a detailed report of the extent of atrocity loss and damange to the property of the victims;
- (iii) order for intensive police patrolling in the area;
- (iv) take effective and necessary steps to provide protection to the witnesses and other sympathisers of the victims;
- (v) provide immediate relief to the victims

# 7. INVESTIGATING OFFICER:

- (1) An offence committed under the Act shall be investigated by a police officer not below the rank of a Deputy Superintendent of Police. The investigating officer shall be appointed by the State Government! Director General of Police/Superintendent of Police after taking into account his past experience, some of ability and justice to perceive the implications of the case and investigate it along with right lines within the shortest possible time.
- (2) The investigating officer so appointed under sub-rule (1) shall complete the investigation on top priority within thirty days and submit the report to the Superintendent of Police who in turn will immediately forward the report to the Director General of Police of the State Government.
- (3) The Home Secretary and the Social Welfare Secretary to the State Government, Director of Prosecution the officer in-charge of Prosecution and the Director General of Police shall review by the end of every quarter the position of all investigations done by the investigating officer.

# 8. SETTING UP OF THE SCHEDULED CASTES AND THE SCHEDULED TRIBES PROTECTION CELL:

- (1) The State Government shall set up a Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Protection Cell at the State head quarter under the charge of Director of Policelinspector General of Police. This Cell shall be responsible for :—
  - (i) conducting survey of the identified area;
  - (ii) maintaining public order and tranquility by the identified area;
  - (iii) recommending to the State Government for deployment of special police force or establishment of special police post in the identified area;
  - (iv) making investigations about the probable emises leading to an offence under the Act;
  - (v) restoring the feeling of security amonest the members of the Scheduled Castes and the Schoduled Tribes:
  - (vi) informing the nodal officer and special officer about the law and order situation in the identified area;
  - (vii) making enquiries about the investigation and spot inspections conducted by various officers;
  - (viii) making enquiries about the action taken by the Superintendent of Police in the cases where an officer in-charge of the police station has refused to enter an information in a book to be maintained by that police station under sub-rule (3) of rule 5;
  - (ix) making enquiries about the wiltul negligence by a public servant:
  - (x) reviewing the position of cases registered under the Act; and
  - (xi) submitting a monthly report on or before 20th day of each subsequent month to the State Covernment nodal officer about the action taken[proposed to be taken in respect of the above.

#### 9. NOMINATION OF NODAL OFFICER:

The State Government shall nominate a nodal officer of the level of a Secretary to the State Government preferably belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, for co-ordinating the functioning of the District Magistrates and Superintendent of Police or other officers authorised by them investigating officers and other officers responsible for implementing the provisions of the Act. By the end of the every quarter, the nodal officer shall review in

(i) the reports received by the State Government under sub-rule (2) and (4) of rule 4, rule 6, clause (xi) of rule 8.

- (ii) the position of cases registered under the Acts
- (iii) law and order situation in the identified area;
- (iv) sarious kinds of measures adopted for providing immediate relief in cash or kind or both to the victims of atrocity or his or her dependent;
- (v) adequacy of immediate facilities like rationing, clothing, shelter, legal aid, travelling allowance, daily allowance and transport facilities provided to the victims of atrocity or his/her dependants;
- (vi) performance of non-Governmental organisations, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Protection Cell, various committees and the public servents responsible for implementing the provisions of the Act.

#### 10. APPOINTMENT OF A SPECIAL OFFICER:

In the identified area a Special Officer not below the rank of a Additional District Magistrate shall be appointed to coordinate with the District Magistrate, Superintendent of Police or other officers responsible for implementing the provisions of the Act. various committees and the Scheduled Castes and the Scheduled C

The Special Officer shall be responsible for :

- (i) providing immediate relief and other facilities to the victims of alrecity and initiate necessary measures to prevent or avoid re-occurrence of atrocity;
- (ii) setting up an awareness centre and organising workshop in the identified area or at the district head quarters to educate the persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Titles about their rights and the protection available to them under the provisions of various Central and State enactments or rules and schemes etc. framed therein t
- (iii) co-ordinating with the Non Governmental organisations and providing necessory facilities and financial and other type of assistance to non-Governmental Organisation for maintaining centres or organising workshops;
- 11. TRAVELLING ALLOWANCE DAILY ALLOW-ANCE, MAINTENANCE EXPENSES AND TRANSPORT FACILITIES TO THE VICTIM OF AIROCITY HIS OR HER DEPENDENT AND WITNESSES:
- (1) Every victim of atrocity or his/her dependent and witnesses shall be puid to and fro rail fare by second class in expressimallipassenger train or actual bus or taxi fare from his/heer place of residence or actual bus or taxi fare from his/heer place of residence or place of stay to the place of iamesligation or hearing of trial of an offence under the Act.
- (2) The District Magistrate or the Sub-Divisional Magistrate or any other Executive Magistrate shall make necessary strangements for providing transport facilities or reimbursement of full payment thereof to the victims of atrocity and witnesses for visiting the investigating officer, superintendent of Police/Departy Superintendent of Police, District Magistrate or any other Executive Magistrate.
- (3) Every woman witness, the victim of atrocity or her dependent being a woman or a minor, a nerson more than sixty years of age and a person having 40 rerect; or more discibility shall be entitled to be accompanied by an attendant of iterlinis choice. The attendant shall also be paid travelling and maintenance expenses as applicable to the witness or the victim of atrocity when called mon during hearing investigation and trial of an offence under the Act
- (4) The witness, the victims of alreely or his/her dependent and the attendant shall be paid daily maintenance expenses. for the days helshe is away from the place of his/her residence or stay during investigation, hearing and trial of an affence, at such rates but not less than the minimum wages, as may be fixed by the State Government for the agricultural labourers.
- (5) In addition to daily maintenance expenses the witness, the victim of atrocity (or hisher dependant) and the attendant shall also be paid diet expenses at such rates as may be fixed by the State Government from time to time.

- (6) The payment of travelling allowance, daily allowance, maintenance expenses and reimbursement of transport facilities shall be made immediately or not later than three days by the District Magistrate or the Sub-Divisional Magistrate or any other Executive Magistrate to the victims their dependentslattendant and witnesses for the days they visit the investigating officer or in-charge police station or hospital authorities or Superintendent of Police Deputy Superintendent of Police or District Magistrate or any other officer concerned or the Special Court.

  (7) When an offence has been convenient and of the property of the special Court.
- (7) When an offence has been committed under Section 3 of the Act, the District Megistrate or the Sub-Divisional Magistrate or any other Executive Magistrate shall reimburse the payment of medicines, special medical consultation, blood transfufsion, replacement of essential clothing, meals and fruits provided to the victim(s) of atrocity.
- 12. MEASURES TO BE TAKEN BY THE DISTRICT ADMINISTRATION :---
- (1) The District Magistrate and the Superintendent of Police shall visit the place or area where the atrec'ty has been committed to assess the loss of life and damage to the property and draw a list of victim, their family members and dependents entitled for relief.
- (2) Superintendent of Police shall ensure that the First Information Report is registered in the book of the concerned police station and effective measures for apprehending the accused are taken.
- (3) The Superintendent of Police, after spot inspection, shall immediately appoint an investigation officer and deploy such police force in the area and take such other preventive measures as he may deem proper and necessary.
- (4) The District Magistrate or the SubDivisional Magistrate or any other Executive Magistrate shall make arrangements for providing immediate relief in cash or in kind or both to the victims of atrocity their family members and dependent according to the scale as in the schedule annexue to these Rules (Annexure-1 road with Annexure-ID). Such immediate relief shall also include food, water, clothing, shelter, medical aid, transport facilities and other essential items necessary for human beings.
- (5) The relief provided to the victim of the atrocity or his/her dependent under sub-rule (4) in respect of death, or infury to or damage to property shall be in addition to easy other right to claim compensation in respect there of under any other law for the time being in force.
- (6) The relief and rehabilisation facilities mentioned in sub-rule (4) above shall be provided by the District Magistrate or the Sub-Divisional Magistrate or any other Executive Magistrate in accordance with the scales proided in the Schedule annexed to these rules.
- (7) A report of the relief and rehabilitation facilities provided to the victims shall also be forwarded to the Special Court by the District Magistrate or the Sub-Divisional Magistrate or the Executive Magistrate or Superintendent of Police. In case the Special Court is satisfied that the payment of relief was not made to the victim or his/her dependent in time or the amount of relief or compensation was not sufficient or only a part of payment of relief or compensation was made, it may order for making in full or part the payment of relief or any other kind of assistance.
- 13. SELECTION OF OFFICERS AND OTHER STAFF MEMBERS FOR COMPLETING THE WORK RELATING TO ATROCITY:
- (1) The State Government shall ensured that the administrative officers and other staff members o be appointed in an area prone to atrocity shall have the right aptitude and understanding of the problems of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.
  posts and police station.
- (2) It shall also be ensured by the State Government that person from the Scheduled Casies and the Scheduled Tribes are adequately represented in the administration and in the police force at all levels, particularly at the level of police posts and police station.
- 14. SPECIFIC RESPONSIBILITY OF THE STATE GOVERNMENT:

The State Government shall make necessary provisions in its annual budget for providing relief and rehabilitation facilities

in the victims of atrocity. It shall review atleast twice in a catendar year, in the month of January and July the performance of the Special Public Prosecutor specified or appointed under Section 15 of the Act, various reports received, investigation made and preventive steps taken by the District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate and Superintendent of collect, relief and renabilitation facilities provided to the victims and the reports in respect of lapses on behalf of the conterned officers.

# 15. CONTINGENCY PLAN BY THE STATE GOVERN

- Of the State Government sual prepare a model confinence plan for implementing the provisions of the Act and notify the same in the Official Guzette of the State Government. It should specify the role and responsibility of various departments and their officers a different levels, the role and responsibility of Rocal Urban Local Budies and Non-Government Organisations. Inter that this plan shall contain a package of relief measures including the following.
  - (a) scheme to provide immediate relief to cash or in kind or both;
  - (b) allotment of agricultural land and house sites;
  - (c) the rehabilitation packages;
  - (d) scheme for employment in Government or Govern-ment undertaking to the dependant or one of the family members of the victim;
  - (e) pension scheme for widows, dependant children of the deceased, handicapped or old are victims of
  - (f) mandatory compensation for the victims;
  - (u) scheme for strengthening the socio-economic condition of the victim;
  - (h) provisions for providing brick/stone masonary house to the victims;
  - (i) such other elements as health care, supply of essential commodities, electrification, adequate drinking water facility, foursel/cremation ground and link toaks to the Scheduled Castes and the Scheduled roads to the Sel Tribes habitats.
- (2) The State Government shall forward a copy of the contingency plan of a summary thereof and a copy of the scheme, as soon as may be, to the Central Government in the Ministry of Welfare and to all the District Magistrates, Sub-Divisional Magistrates, Inspectors General of Police and Superintendents of Police.

# 16 CONSTILUTION OF STATE-LEVEL VIGILANCE AND MONITORING COMMITTEE :

- (1) The State Government shall constitute a high rower vigilance and monitoring committee of not more than 25 members consisting of the following.
  - (i) Chief Minister/Administrator-Chairman (in case of a State under Presient's Rule Governor-Chairman).

- (ii) Home Minister, Finance Minister and Welfare Minister-Members (in case of a State under the President's Rule Advisors—Members);
- (iii) all elected Members of Pathament and State Legisla-tive Assembly and Legislative Council from the State belonging to the Scheduled Castes and this Scheduled Tribes—Adembers.
- (iv) Chief Secretary, the Home Secretary, the Director General of Police, Director/Deputy Director Na-tional Commission for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes—Members;
- (v) the Secretary in-charge of the weitare and develop-ment of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes—convenor.
- 13. The high power vipilance and monitoring committee shall meet at least twice in a calendar year, in the month of lannary and July to review the implementation of the provisions of the Act, relief and rehabilitation facilities provided to the victims and other matters coansected therewith, prosecution of cases under the Act, role of different officers/agencies responsible for implementing the provisions of the Act and various reports received by the State Government.

# 17. CONSTITUTION OF DISTRICT LEVEL VIGILANCE AND MONITORING COMMITTEE:

- (1) In each district within the State, the District Magistrate shall set up a vigilance and monitoring committee in his district to review the implementation of the provisions of the Act relier and rehabilitation facilities provided to the victims and other matters connected therewith, prosecution of cases under the Act role of different officers/agencies responsible for implementing the provisions of the Act and various reports received by the District Administration.
- various reports received by the District Administration.

  (2) The district level vigilance and monitoring committee shall consist of the elected Members of the Parliament and State Legislative Assembly and Legislative Council, Superintendent of Police, three group 'A' officers/Gazetted officers of the State Government belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, not more than 5 non official members belonging to the Scheduled Tribes and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes having association with Non-Government Organizations. The District Magistrate and Distt. Social Welfare Officer shall be chairman and Member Secretary respectively.
- (3) The district level committee shall meet at least once in three months.

# 18. MATERIAL FOR ANNUAL REPORT :

The State Government shall every, before the 31st March, forward the report to the Central Government about the measures taken for implementing provisions of the Act and various schemesplans framed by it during the previous calendar year.

[File No. 11012]1[89-PCR (Desk)] GANGA DAS, Jt. Secy.

ANNEXURE-I SCHEDULE

(See Rule 12(4)

# NORMS FOR RELIEF AMOUNT

St. Name of offence No

Minimum amount of relief

- Drink or eat inedible or obnexious substance [Section Rs. 25,000 or more depending upon the nature and
- Causing injury insult or annovance (Section 3(1)(ii)
- 1 Derogatory upt (Sec. 3(1)(iii))
- gravity of the offence to each victim and also commen-

surate with the indigenity, insult, injury and defamation sufferened by the victim.

Payment to be made as follows

I. 25% when the chargesheet is sent to the court.

At least Rs. 1,00,000 or full-ompensation of the loss or harm sustained, 50% to be paid when charge sheet is sent to Court and 50% on conviction by the lower

Atleast Rs. 50,000 depending upon the nature and gravity of the offence to each victim and or his dependents. The amount would vary if specifically otherwise provi-

ded in the Schedule.

		II. 75% when accused are convicted by the lower court
	Wrongful occupation or cultivation of land, etc. (Section 3(1)(iv)) Relating to land, premises and water (Section 3(1)(v)	Atleast Rs. 25,000 or more depending upon the nature and gravity of the offence. The land/premises/water supply shall be restored where necessary at Government cost. Full payment to be made when charge-sheet is sent to the Court.
6.	Megar or forced or bonded labour [Section 3(1)(vi)]	Atleast Rs. 25,000/- to each victim, payment of 25% at FIR stage and 75% on conviction in the lower court.
7.	Relating to right to franchise [Section 3(1)(vii)]	Upto Rs. 20,000/-to each victim depending upon the nature and gravity of the offence.
	False, malicious or vexatious legal proceedings [Section 3(1) (viii)] False and frivolous information [Section 3(1) (ix)]	Rs. 25,000/-or reimbursement of actual legal expenses and damages or whichever is less after conclusion of the trial of the accused.
10.	fusult, intimidation and humiliation [Section 3(1)(x)]	Upto Rs. 25,000/- to each victim depending upon the nature of the offence. Payment of 25% when charge-sheet is sent to the court and rest on conviction.
	Outraging the modesty of a woman [Section 3(1)(xi)] Sexual exploitation of a woman [Section 3(1)(xii)]	Rs. 50,000/- to each victim of the offence. 50% of the amount may be paid after medical examination and remaining 50% at the conclusion of the trial.
(3,	Fouling of water [Section 3(1) (xiii)]	Upto Rs. 1,00,000 or full cost of restoration of normal facility, including cleaning when the water is fouled. Payment may be made at the stage as deemed fit by District Administration.
	Obtained of customary rights of passage (Section 3(1) (xiv))	Upto Rs. 1.00,000 or full cost of restoration of right of passage and full compensation of the loss suffered, if any. Payment of 50% when charge sheet is sent to the court and 50% on conviction in lower-court.
	Making one desert place of residence [Section 3(1)   F(sv)]	Restoration of the site/right tostay and compensation of Rs. 25,000/-to each victim and reconstruction of the house at Govt. cost, it destroyed. To be paid in full when charge sheet is sent to the lower court.

in 3 ving false evidence (Section 3(2) (1) and (ii)!

17. Committing offences under the Indian Penal Cods punishable with imprisonment for a term of 10

years or more [Section 3(2)]

- Victimization at the hands of a public servant (Section 3(2) (vii)
- Full compensation on account of damages or loss or harm sustained. 50% to be paid when charge-sheet is sent to the Court and 50% on conviction by lower court.

2

- 19. Disability. The definitions of physical & mental disabilities are contained in the Ministry of Welfare, G.O.I. notification No. 4-2/83-HW.III dated 6-8-1986 as amended from time to time. A copy of the notification is at Annexure-II.
  - (a) 100% incapacitation
  - (i) Non earning Member of a family
  - (ii) Earning Member of a family
  - (b) Where incapacitation is less than 100%
- 20. Murder/Death
  - (a) Non-earning Member of a family
  - (b) Earning Member of a family
- 21. Victim of murder, death, massacre, rape, mass rape and gang rape, permanent incapacitation and dacoity

- At least Rs. 1,00,000 to each victim of offence. 50% on FIR and 25% at chargesheet and 25% on conviction by the lower court.
- At least Rs. 2,00,000 to each victim of offence, 50% to be paid on FIR/Medical examination stage, 25%, when charge-sheet sent to court and 25% at conviction in lower court.
- The rates as laid down in a(i) and (ii) above shall be reduced in the same proportion, the stages of payments also being the same. However, not less than Rs. 15,000 to non earning member and not less than Rs. 30,000 to a earning member of a family.
- At least Rs. 1,00,000 to each case. Payment of 75% after postmortem and 25% on conviction by the lower court.
- At least Rs. 2,00,000/- to each case. Payment of 75% after Postmortem and 25% on conviction by the lower Court.
- In addition to relief amounts paid under above items, relief may be arranged within three months of date of atrocity as follows:-
- (i) Pension to each widow and/or other dependents of deceased SC and ST @ Rs. 1,000/- per month, or Employment to one member of the family of the deceased, or provision of agricultural land an house, if necessary by outright purchase.
- (ii) Full cost of the education and maintenance of the children of the victims. Children may be admitted to Ashram Schools/residential schools.
- (iii) Provision of utensils, rice, wheat, dals, pulses, etc. for a period of three months.
- Brick/stone masonery house to be constructed or provided at Government cost where it has been burnt or destroyed.
- 22. Complete destruction, burnt bouses.

ANNEXURE-II

NO 4-2[83-HW. III GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF WELFARE

New Delhi, the 6th August, 1986

Subject: Uniform Definitions of the Physically Handicapped.

At present, different difinitions for various categories of handicapped are adopted in various schemes, programmes of the Central and State Governments. In order to have a standard set of definitions, authorised certification authorities and standard tests for purpose of objective certification. Government of tadia in Ministry of Welfare set up three committees under the Chairmanship of Director General of Health Services—one each in the area of visual handicaps, speech and hearing disorders and locomotor disabilities and a separate Committee for mental handicaps.

- 2. After having considered the reports of these committees and with the concurrence of the State flovernments UTs and the concerned Ministries Departments the undersigned is directed to convey the approval of the President to notify the definitions of the following categories of physically handicapped:—
  - 1. Visually handicaps
  - 2. Locomotor handicaps
  - 3. Speech and hearing handicaps
  - Mental handicaps.

Report of the Committee as indicated in the Annexure I.

- 3. Each category of handicapped persons has been divided into four groups viz. mild moderate, severe and profound total. It has been decided that various concessions benefits would in future be available only to the moderate, severe and profound total groups; and not to the mild groups. The minimum degree of disability should be 40 per cent in order to be eligible for any concession benefits.
- 4. It has been decided that the authorised certifying authority will be a medical board at the district level. The board will consist of the Chief Medical Officer is the District another expert in the specified field viz. ophthalmic sundon in case of visual handicaps, either an ENF to go or an authologist in case of speech and hearing handicaps, an orthopaedic surgoon or a specialist an siysical medicine and renabilitation in case of locustor handicaps, a psychiatrist or a chicked psychologist or a leacher in special education in case of medical handicaps.
- Specified tests as indicated in Annexure should be conducted by the medical board and recorded before a certificate is given.
- 6. The certificate would be valid for a period of three years.
- 7. The locals Gover, UT Admit, may constitute the mattent fronts influsted in part 4 above trained afoly.

M. C. NARSIMHAN, Jr. Secy. 10 the Govt, of India.

#### ORDER

Ordered that the above notification be published in the Gazette of India for general information. Copies of the Gazette notification may be sent to all Ministries Deptt. of the Central Govt. all State Govts UT Adma. President Sectt. P. M.'s Office, Lok Sabha, Rajya Sabha Sectt. for information and necessary action.

M. C. NARSIMHAN, Jt. Secy. to the Govt. of India.

COMBINE REPORT OF THREE COMMITTEES RECOMMENDING UNIFORM SET OF DEFINITIONS, AUTHORITIES FOR CERTIFICATION AND STANDARD TESTS FOR VISUAL. HEARING AND SPEECH AND LOCOMOTOR DISABLLITIES

List of the Members of the Committees at Annexure L Introduction

India is a vast country with variable social, cultural, geographical and economic back ground. Despite breakthrough in health services, a number of disabilities continue to appear due to polio communicable and congenitial diseases, increased industralisation and mechanisation vehicular traffic leading to locomotor disabilities; vitamin-A deficiency, cataract and infectious injuries, nutritional deficiency leading to visual loss: car infection, external injuries, noise pollution contributing to hearing loss. These are the three major disabilities which manifest themselves as a result of one or more of such factors.

2. Government of India are providing a large number of facilities and concessions to disabled persons. In order to provide these facilities and concessions it is imperative that standard definition of these disabilities is decided upon. Consequent to recommendation of the National Council for Handicapped Welfare the Committees under the chairmanship of Director General of Health Services met for the adoption of standard set of definitions which should be uniformly applicable through out the country.

The exercise of evolving a uniform set of definition should not be however to construed to mean that no definitions have been set forth at present. Definitions of these three major disabilities which are prevalent at present for extending various concessions and facilities to handicapped are given in America 11.

Recommended Definitions

Physical impairment leads to functional limitation and functional limitation leads to disability. Physical impairment, functional limitation and disability have been defined by WHO and this Committee would recommend adopting this classification, which is as follows:

(i) Impairment: An impairment is a permanent or transitory psychological or anatomical loss and/or abnormality. For example a missing or effective part, tissue organ or "Mechanism" of the body such as an amputated limb, paralysis after polio, myocardial infaction, cerebrovascular thrombosis, restricted paleonary capacity, diabetes myopia, dialigurement, mental retardation hypertension, perceptual disturbance.

- (ii) Functional limitation: Impairment may cause functional limitations which are the partial or total inability to perform those activities necessary for motor, sensory, or mental functions within the range and manner of which a human being is normally capable such as walking, lifting loads, seeing, speaking, hearing, reading, writing, counting, taking interest in and making contact with surroundings. A functional limitation may last for a short time a long time be permanent or reversible. It should be quantifiable whenever possible. Limitations may be described as "Progressive" or "regressive".
- (iii) Disability: Disability is defined as an existing difficulty in performing one or more activities which, in accordance with the subject's age, sex and morative social role, are generally accepted as essential, basic components of daily living, such as self-care, social relations and economic activity. Depending in part on the duration of the functional limitation disability may be short-term, long-term or permanent. be short-term, long-term or permanent.

Medically, disability is physical impairment and inability to perform physical functions normally. Legally, disability is a permanent injury to body for which the person should or should not be compensation.

The disability can be divided into 3 periods,

- (i) Temporary total disability is that period in which the affected person is totally unable to work. During this time he may receive orthopaedic, opthalmological auditory or speech or any other medical treatment.
- (ii) Temporary partial disability is that period when recovery has reached the stage of im-provement so that person may begin some kind of gainful occupation.
- (iii) Permanent disability, applies to permanent damage or loss of use of some part parts of the body after the stage of maximum improvement from any medical treatment has been reached and the condition is stationary.

The classifications & various concessions being recommended are for the permanent disability only.

Evaluation and Assessment of Visual Disabilities

The group recommended the classification of visual impairment/disability may be categorised in four groups for considering various concessions to visually handicapped.

The quesiton regarding one eyed person was considered at length. The Committee is of the view that the guidelines recommended for evaluation of visual loss of persons who have lost one eye but have the other eye normal should be totally unambiguous. The Committee feels that such persons may not be clubbed with other visually handicapped so that facilities|concessions available to severely|profoundly-visually handicapped and totally blind are not eroded.

ft one oyed persons are clabbed with occurely profoundly visually handless red and totally bind persons, the Committee feels that most of the concussions especially jobs reserved for the bind persons
shall go to one eyed persons as their dami loss is
mutual compared to other 2 categories and in this
manner most of the Government offices public sector
undertakings will be fulfilling the quota aut in actual
practice will not be giving jobs to totally blind and
persons with severe visual loss. The Committee, however feels that it should be made clear that loss of
one eye will not be considered as a disqualification
on medical grounds unless a particular post is of
such a technical nature that it requires of a person
the use of both the eyes or 3 dimensional vision.
The Committee also recommends that if a person has
been declared unfit due to some temporary visual been declared unfit due to some temporary visual loss defect, it should not be construed to mean as disabled if such a temporary impairment in the opinion of a Medical Board can be overcome with treatment or visual aids.

Guidelines for evaluation & categorisation of visual disabilities are given in Appendix III.

Evaluation & Assessment of Hearing & Speech Disability

The Committee recommended that the definitions which are internationally accepted and have been adopted by WHO may be adopted in this countrals for evaluation and categorisation of hearing & speech loss.

The recommended classification and guidelines for evaluation of hearing loss are given in Appendix II. The Committee also considered various facilities. concessions which may be given to hearing handicap-ped persons and suggestions of the facilities which may be offered to the hearing handicapped for re-habilitation are also given in Appendix II.

3. Evaluation & Assessment of Orthopaedic

The Committee recommends that Kessler's method may be taken as a general guideline for evaluating orthopaedic disability. Since issues have been raised regarding the quantification of degree of disability, the authorised Medical Board may also consult any other suitable method and use Kessler's method as a basic puideline. a basic guideline.

The Committee is aware that there are other The Committee is aware that there are other methods of quantification which are at variance with the Kossler's guidelines. However, Kessler's guidelines for evaluation of various degrees of disability. It is expected, would hold good for most of the time. The individual Medical Board could take into consideration other methods which may help the board in evaluating disability in an individual case.

The Authorities to give Certification

A permanent disability certificate will be issued by a board duly constituted by the Central and the State Governments. It is recommended that a Medical Board for evaluation of disability should be available minimum at the district level. It is also recommended to have atleast 3 members in the board, our of which

atleast one should be a specialist in the particular field for assessing locomotor/visual/hearing & speech fisat/lity as the case may be.

i) is also recommended that the competent authority may also appoint an appellate medical board to resolve any dispute.

Concessions|Facilities which may be Offered to Disabled Persons

Keeping in view the set of definitions and the categorisation being recommended, various Ministries| Departments and the State Governments shall have to also specify the facilities and concessions which would be available to different categories of the handicapped. The Committee recommends that if a person has the degree of disability below 40 per cent in a particular category, no such benefits|concessions may be given to such a person. All other categories may be extended concessions|facilities| like scholarships, job reservation, aids and appliances either free of cost or at concessional rates, conveyance allowance etc. For hearing handicapped, the Committee recommends that 3 language formula may be revised so that the hearing handicapped have to study one language only.

Ministry of Social & Women's Welfare may make out proposals based on these recommendations with the appropriate Ministry for necessary modifications in the policy of 3 language formula.

The Committee also recommended that Ministry of Health and Family Welfare may also take up amending medical standards for necessary relaxations in respect of mild handicapped in all the categories so that on account of their mild disability, they are not put in a position that neither they are able to get the facility of job reservations nor are eligible otherwise for entering into services in the general category. The medical rules may also indicates in clear terms that loss of one eye will not be considered a disqualification unless the particular post is of such a technical nature that it requires of a person the use of both the eyes or three-dimentional vision. The some medical board at the district level may examine suitability or otherwise of a one eyed person for a particular post.

The degree and extent of disability of the 3 types, namely visual, hearing and orthopaedic will be indicated as follows:—

- (a) mild-less than 40 per cent
- (b) moderate-40 per cent & above
- (c) Severe-75 per cent & above
- (d) profound total 100 per cent

For persons suffering from cardo pulmonary diseases, there may be no reservations in jobs. These persons may, however, be considered for extending other concessions such as exemption in typing etc.

The Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare will be the final authority, should there arise any controversy doubt regarding the interpretation of the definitions classifications evaluation tests etc.

Only those persons who have disability more than 40 per cent and above shall be eligible for registration in Employment Exchanges in the category of handicapped and considered against jobs in public sector reserved for the physically handicapped.

#### Annexure-I

Composition of Committees to recommend standard definitions of Disabilities

Dr. D.B. Bisht,

Director General of Health Services
Ministry of Health & Family Welfare,
Nirman Bhavan, New Delhi.

On Visually Handicapped

Dr. Madan Mohan
 Head Deptt. of Opthalmoloty,
 All India Institute of Medical Sciences
 New Delhi.

Member

 Dr. G.H. Gidwani, Assistant Director General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhavan, New Delhi

Member

Shri R.S. Srivastava,
 Joint Director,
 Director General of Employment &
 Training,
 Ministry of Labour,
 Sharam Shahti Blivan, New Delhi.

Momber

4. Director,

National Institute for the Visually Handicapped, Rajpur Road, Dehradun, (Represented by Shri S.R. Shuhla, Asstt. Director).

Member

 Dr. G. Venhataswami, Arvind Eye Hospital, Madurai, Tamilnadu

Member

 Dr. J.M. Pahwa, Chief Medical Officer, Gandhi Eye Hospital, Aligarh.

Member

 Shri Harcharanjit Singh, Under Secretary, Ministry of Social & Women's Welfare

Member

On Hearing Handicapped

 Dr. G.H. Gidwani, Assistant Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfzle, Nirman Bhavan, New Delhi.

Member

 Shri R.S. Srivastava, Joint Director, Director, General of Employment & Training, Ministry of Labour, Sharam Shahti Bhayan New Delhi-

Member

3. Du.S.R. Kacher,	The second secon
All India Institute of Madical and	1474000000
New Delhif.	Member
4. Or. M. Nithya Seelan, Director,	
At India Factor	
All India Institute of Speech & Hearin	g. Member
0.00000	
5. Dr. N. Rathna,	
Director,	
All 3 ager June Toxes	
Bombay-400034. Mahalaxo	nī,
(Represented by Your and	
The Director in the meeting on 25-6-84)	Member
6. Shri Harcharanjii Slagh,	
Walter Secretary	
Ministry of Social & Women's The second	Member
Now Delhi.	Secretary
0	
Os Orthopaedically Handicapped	
1. Dr. O.H. Gidamed	
Assessment Director General of	
Ministry of Health & r.	
Norman Bhavan, New Delhi.	Member
The Mark Trem Lie In .	
2. Sin: H.S. Srivastava,	
2 Director	
Director General of Street	
Ministry of Labour, Sharare Shahti	100000000000000000000000000000000000000
Bhavon, New Delhi.	Member
S. Dr. Narendra Kumar,	
Ludian Council of Medica! Research,	
Ansari Nagar, New Delhi.	Member
4. Director,	THE STATE OF THE S
National Institute of Own	
Hundicapped B.T. Road, Bon Hooghly,	
Calculta.	
· The contract of the contract	Member
3. Lir. A.K. Mukherjee,	
Director,	
All fadia Institute of Physical Medicine	
	Member
Fig. Ali Parh, Bombay.	menuez
6. Dr. S.R. Varma,	
Hond of Deep Arma	
Floral of Deptt, of Physical Medicine and	
Rehabilisation, All India Institute of	Member
Bullion, New Delhi.	
7. Dr. R.F. Yaday,	
Head Rehabilitation Dans	115755040450
TOSDIE!	Special
New Delhi.	Invitee
0 0	
8. Dr. 1.5. Guleria,	
Head of Danie of Mr. ii	Carrie 1
	Special Invitee
Sciences, New Delhi.	Anvitee
7. Shri Harcharanjit Singh,	
TOTAL DECRetary	
terminity of Soci at a various to	Member-
781 CHIPS-5	Secretary

# ANNEXURE-II

# (1) Visually Handicapped

The definition adopted for visual handicapped for extending the concession, scholarships admission to integrated education system, reservation in jobs, assistance for purchase fitting of aids and appliances:—

The blind are those who suffer from either of the following conditions .—

- (a) Total absence of sight.
- (b) Visual acquity not exceeding 6|60 or 2θ|200 (snellen) in the better eye with correcting lences.
- (c) Limitation of the field of vision substanding and angle of degree or worse.

Definition of Hearing Handicapped under various

# SCHOLARSHIPS

The deaf are those in whom the sense of hearing is non-functional for ordinary purposes of life. They do not hear understand sound at all even with amplified speech. The cases included in this category will be those having hearing loss more than 70 decibles in the better ear (profound impairment) or total loss of hearing in both ears.

Assistance to Disabled Persons for Purchase Fitting of Aids Appliances

The partially hearing are those falling under any one of the categories indicated below :-

Category	Hearing aquity			
Mild impairment	More then 30 but not more than 45 decibles in better ear.			
Serious impairment	More than 45 but not more than 60 decibles in better ear.			
Severe impairment	More than 69 but not more than 90 decibless in the better ear.			

Reservation Orders Issued by Department of Personnel and Administrative Reforms

The deaf are those in whom the sense of hearing is non-functional for ordinary purposes of life. They do not hear understand sounds at all events with emplifield speech. The cases included in this category will be whose having loss more than 90 decibles in the better ear (profound impairment) or total loss of hearing in both ears.

## Locomotor Handicapped

Similarly the definition adopted for orthopaedically handicapped is not uniform as all orthopaedically handicapped are eligible for getting a scholarship but only those orthopaedically handicapped person can get the facility of reservation in jobs as have a minimum of 40% disability.

#### Situation in State Governments

Various state Governments have also adopted different sets of definition. For example, Govt. of Tamil

Nadu declared one eyed persons in the same category as blind persons and have extended various concessions including the reservation in jobs under the State Government to one eyed person also. The Central Government on the other hand has declared that a one eyed person with one eye good vision is not medically unfir and can be considered for jobs which do not require a three dimentional vision to the specific requirement of the jobs.

Appendia-III

Visual Impairment disability Categories bases on its severity and proposed disability percentages

		All with corrections	Percentage
	Better eye	Worse eye	impairment
Category O Category I Category II	6/9—6/18 6/18—6/36 6/60—4/60 or Field of vision 110—20	6/24 to 6/36 6/60 to Nil 3/60 to Nil	20% 40% 75%
Category III	3/60 to 1/60 or Field of vision 100	F.C. at 1 ft. to Nil	100%
Category IV	F.C. at 1 ft. to Nil	F.C. at 1 ft. to Nil	100%
One eyed persons	Field of vision 100 6/6	Field of vision 100 F.C. at 1 ft. to Nil	30%

The method of evaluation shall be the same as recommended in Hand Book of Medical examination. Impairment of 20 %40 % or less may only be entitled to aids and appliances.

Annexure-IV

A. Recommendations about the Categories and the Tests Required

S. No.	Category	Type of impairment	DB level and/or	Speech discrimi- nation	Percentage of impairment
1.	I.	Mild Hearing impairment	dB 26 to 40 dB in	80 to 100% in better ear	Less than 40%
2.	11.	Moderate hearing	better ear 41 to 55 dB in better ear	50 to 80% better ear	40%-50%
3.	m.	Impairment Severe hearing impairment	56 to 70 Hearing Impairment	40 to 50%	50 to 75%
4.	IV.	(a) Total deafness (b) Near total	in better ear No hearing 91 dB and above	No discrimination	100%
		deafness (c) Profound hearing impairment	in better ear 71 to 90 dB	Less then 40%	75%-100%

(Pure tone average of hearing in 500, 1000 and 2000 Hz by air conduction should be taken as basis for consideration as per the test recommendations).

# Further it should be noted that -

- (a) When there is only an Island of hearing present in one or two frequencies in better ear, it should be considered as total loss of hearing.
- (b) Wherever there is no response (NR) at any of the 3 frequencies (500, 1000, 2000 Hz), it should be considered as equivalent to 130 dB loss for the purposes of classification of disability and in arriving at the average. This is based on the fact that maximum intensity limits in most of the Audiometers is 110 dB's and some audiometers has additional facilities for +20 dB for testing.

- Recommendations about the categories of diability (Hearing Impairment—Physical aspect only— Test recommended).
  - (a) Pure tone audiometry (ISO R 382-1970 at present, is being used as Audiometric Standard in most of the audiometers. Hence the audiometers used in testing should be accordingly celiberated). Three frequency average at 500, 1000 and 2000 Hz by Air Conditions (A.C.) will be used for categorization.
  - gorization.

    (b) Wherever possible the pure tone audiometric results should be supplemented by the Speech discrimination score—Tested at Sensation level (S.L.) i.e. the speech discriminations test is conducted at —dB above the patient's hearing threshold. The stimuli used be either phonetically balance words (Pb) of the particular language or its equivalent material. At present only a few Indian languages have standard speech material for testing. Hence wherever the standardised test material is not available, either standardised Indian English Test could be made use of, with English knowing population or equivalent material to Pb. be used.
- (c) Wherever children are tested and pure tone audiometry becomes not possible free field testing should be employed.

Suggestions of the Facilities to be Offered to the Disabled for Rehabilitation

Category I. No. special benefits.

Category II. Considered for Hearing Aids at free or concessional costs only.

Category III. Hearing aids free of cost or at concessional rates. Job reservation-benefit of special Employment Exchange.
Scholarships at School : Single language formula.

Category IV. Hearing Aids—facilities of reservation—special employment exchange. Special facilities in schools like Scholarship. Hearing aids—Exemption from 3 language formula (to study in recommended single language).

It is felt that for consideration of admission under special category for courses conducted by institutions like Indian Institute of Technology (IIT). Industrial Training Institute (ITI) and others, categories 1 & 2 only should be considered for reservation of seats, provided they fulfill the other educational stipulations for the course.

We have considered the different type of hearing affection i.e. conductive VS Sensory neural, and agree that the disability will be judged by the conditions prevalent in the patient at the time of referral and examination. In case of failure of surgery or other therapeutic interventions, the patient will be considered and categorized on the basis of the recommended tests.

781 GI 95-6

Appendix-V

- 1. Guidelines for Evaluation of Various Disabilities
- (1) Locomotor Disability

# 1.1 UPPER LIMB

- The estimation of permanent impairment depends upon the metsurement of functional impairment and is not expression of a personal opinion.
- The estimation and measurement must be made when the clinical condition is fixed and unchangeable.
- The upper extermity is divided into two component parts, the arm component and the hand component.
- Measurement of the loss of function of arm component consists in measuring the loss of motion, muscle strength and co-ordinated activities.
- 5. Measurement of the loss of function of hand component consists in determining the Prehension, Sensation & Strength. For estimation of Prehension Opposition, lateral pinch, cylindrical grasp spherical grasp and hook grasp have to be assessed as shown in the column of "prehension component" in the proforma.
- The impairment of the entire extremity depends on the combination of the functional impairment of both components.

# ARM COMPONENT

Total value of arm component is 90%.

Principles of Evaluation of range of motion of joints —

- The value of maximum R.O.M. in the arm component is 90%.
- 2. Each of the three joints of the arm is weighed equally (30%).

#### Example :

A fracture of the right shoulder joint may affect range of motion so that active abduction is 90%. The left shoulder exhibits a range of active abduction of 180%. Hence there is loss of 50% of abduction movement of the right shoulder. The percentage loss of arm component in the shoulder is  $50 \times 0.30$  or 15 per cent loss of motion for the arm component.

If more than one joint is involved, same method is applied and the losses in each of the affected joints are added. Say,

Loss of abduction of the shoulder = 60% Loss of extension of the wrist = 40%

Then. Loss of range of motion for the arm =

 $(60 \times 0.30) + (40 \times 0.30) = 30\%$ 

Principles of Evaluation of Strength of muscles

 Srength of muscles can be tested by manual testing like 0—5 grading.

- 2. Manual muscle gradings can be given percentages like -
  - 0. 100% 80% 1. 60% 2 3. 40% 4. 20% 5. 0%
- The mean percentage of muscle strength loss is multiplied by 0.30.
- 4. If there has been a loss of muscle strength of more than one joint, the values are added as has been described for loss of range of motion.

Principles of Evaluation of co-ordinated activities

- 1. The total value for co-ordinated activities is 90%.
- 2. Ten different co-ordinated activities are to be tested as given in the Proforma.
  - 3. Each activity has a value of 9%.

Combining value for the Arm Component

1. The value of loss of function of arm component is obtained by combining the value of range of movement, muscle strength & co-ordinated activities, using the combining formula

$$a = \frac{b(90-a)}{90}$$

where

Example:

Let us assume that an individual with a fracture of the right shoulder joint has in addition to 16.5% of motion his arm, 8.3% loss of strength of muscles, and 5% loss of coord nation. We combine these values as: Range of motion: 16.5% |
Strength of Muscles: 8.3% |

$$16.5 \frac{8.3(90-16.5)}{90} = 23.3\%$$
ination: 5% 23.3 +  $\frac{5(90-23.3)}{90}$  = 27.0%

Co-ordination: 5% 23.3+-

So total value of arm component = 27.0%.

Hand Component

Total value of hand component is 90%.

The functional impairment of hand is expressed as loss of prehension, loss of sensation, loss of strength.

Principles of Evaluation of Prehension.

Total value of Prehension is 30%. It includes:

- (A) Opposition (8%). Tested against Index finger (2%), Middle finger (2%) Ring finger (2%) & Little finger (2%)
- (B) Lateral Pinch (5%). Tested by asking the patient to hold a key.

- (C) Cylindrical Grasp (6%), Tested for
  - (a) Large object of 4 inch size (3%)(b) Small object of 1 inch size (3%)
- (D) Spherical Grasp (6%), Tested for
  - (a) Large object 4 inch size (3%)(b) Small object 1 inch size (3%)
- (E) Hook Grasp (5%). Tested by asking the patient to lift a bag.

Principles of Evaluation of Sensations

Total value of sensation is 30%. It includes:

- 1. Radial side of thumb (4.8%)
- 2. Ulnar side of thumb (1.2%)
- 3. Radial side of each finger (4.8%)
- 4. Ulnar side of each finger (1.2%)

Principles of Evaluation of Strength

Total value of strength is 36%. It includes :

- 1. Grip Strength (20%)
- 2. Pinch Strength (10%)

Strength will be tested with hand dynamo-meter or by clinical method (Grip Method).

10% additional weightage to be given to the following factors :

- 1. Infection
- 2. Deformity
- Malalignment
- 4. Contractures
- 5. Abnormal Mobility
- 6. Dominant Extremity (4%)

Combining value of the hand component

The final value of loss of function of hand component is obtained by summing up values of loss of prehension, sensation and strength.

Combining Values for the Extremity

Values of impairment of arm component and impairment of hand component are combined by using the combining formula.

Example:

Impairment of the arm = 27.0%

Impairment of the hand = 64%

Guidelines for Evaluation of Permanent Physical Impairment in Lower Limbs

The lower extremity is divided into two compo-nent and Stability component

Mobility Component

Total value of mobility component is 90 per cent. It includes range of movement and muscle strength.

Principles of Evaluation of Range of Movement

- The value of maximum range of movement in the mobility component is 90 per cent.
- 2. Each of the three joints i.e hip knee, foot-ankle component, is weighed equally—0.30. Example

A fracture of the right hip joint may affect range of motion so that active abduction is 27 degree. The left hip exhibits a range of active abduction of 54 degree. Hence, there is loss of 50 per cent of abduction movement of the right hip. The percentage loss of mobility component in the hip is 50×0.30 or 15 per cent loss of motion for the mobility component.

If more than one joint is involved, same method is applied and the losses in each of the affected joints

For Example:-

Loss of abduction of the hip=60% Loss of extension of the

knee =40%

Loss of range of motion for mobility component

 $(60 \times 0.30) = (40 \times 0.30) = 30\%$ 

Principles of Evaluation of Muscle Strength

- 1. The value for maximum muscle strength in the leg is 90 per cent.
- 2. Strength of muscles can be tested by manual testing like 0-5 grading.
- 3. Manual muscle gradings can be given percent-

Grade 0	111111111111111111111111111111111111111
Grade !	=100 %
Grade 2	= 80 %
Grade 3	=60 %
Grade 4	= 40 %
Grade 5	=20 %

- Mean percentage of muscle strength loss multiplied by 0.30.
- 5. If there has been a loss of muscle strength more than one joint, the values are added as has been described for loss of range of motion.

Combining Values for the Mobility Component

Let us assume that the individual with a fracture of the right hip joint has in addition to 16 per cent loss of motion, 8 per cent loss of strength of muscles.

Combining Values

Motion 16% Strength 8%	8(90-16)	
THE STREET	90	
Where	a = higher value	b = lower value

# Stability Component

- 1. Total value of stability component is 90 per cent.
  - 2. It is tested by 2 methods.
    - (i) Based on scale method.
    - (ii) Based on clinical method.

Three different readings (in kilograms) are taken measuring the total body weight (W). Scale 'A' read-ing and scale 'B' read.

Guidelines for Evaluation of Permanent Physical Impairment of Trunk (Spine)

The local effects of lesions of spine can be divided into traumatic and non-traumatic lesions.

# TRAUMATIC LESIONS

Cervical Spine Fracture

Percent Whole Body Permanent Physical Impairment and Loss of Physical Function to Whole Body

25

20

35

10

20

- Vertebral compression 25 per cent, one or two vertebral adjacent bodies, no fragmen-tation, no involvement of posterior ele-ments, no nerve root involvement, moderate rook regidity and persistent correspondent. neck rigidity and persistent soreness. 20
- B. Posterior elements with X-ray evidence of moderate partial dislocation.
  - (a) No nerve root involvement, healed
  - (b) with persistent pain, with mild motor and sensory manifestations
  - healed, no permanent (c) With fusion, motor or sensory changes.
- C. Severe dislocation, fair to good reduction with surgical fusion.
  - (a) No residual motor or sensory changes. 25
  - (b) Poor reduction with fusion, persistent radicular pain, motor involvement only slight weakness and numbness.
  - (c) Same as (b) with partial paralysis, determine additional rating for loss of use of extremities and sphincters.

# Cervical Intervertebral Disc

- 1. Operative, successful removal of disc, with relief of acute pain, no fusion, no neurologic
- Same as (1) with neurological manifesta-tions, persistent pain, numbness, weakness in fingers.

20 Thoracic and Dorsolumbar Spine Fracture Percent Whole Body Permanent Physical Impairment and Loss of Physical Function to Whole Body.

- A. Compression 25 per cent, involving one or two vertebral bodies, mild, no fragmentation, healed, no neurological manifestations.
- B. Compression 50 per cent, with involvement posterior elements, healed, no neurologic manifestations, persistent pain, fusion, in-

C. Same as (B) with fusion, pain only on heavy use of back.	20
D. Total paraplegia	100
E. Posterior elements, partial paralysis with or without fusion, should be rated for loss of use of extremities and sphincters.	
Low Lumbar	
1. Fracture	10
<ul> <li>A. Veriebral compression 25 per cent one or two adjacent vertebral bodies little or fragmenta- tion, no definite pattern or neurologic changes.</li> </ul>	•
B. Compression with fragmentation posterior clements, persistent pain, Weakness and stiffness, healed, no fusion, no lifting over 25 pounds.	1
C. Same as (B), healed with fusion, mild pain	. 25
D. Same as (B), nerve root involvement to lower extremities, determine additional rating for loss of industrial function to extremit	Į
E. Same as (C), with fragmentation of posterior clements, with persistent pain after fusion no neurologic findings.	
F. Same as (C), with nerve root involvement to lower extremities, rate with functional loss to extremities.	3
G. Total paraplegia.	100
H. Posterior elements, partial paralysis with or without fusion, should be rated for loss of use of extremities and sphineters.	c f
2. Neurogenic Low Back Pain-Disc Injury	
A Periodic acute episodes with acute pain and persistent body list, test, tests for sciatic pair positive, temporary recovery 5 to 8 weeks	1
<li>B. Surgical excision of disc, no fusion, good re suits, no persistent sciatic pain.</li>	10
C. Surgical excision of disc, no fusion, moderate persistent pain and stiffness aggravated by heavy lifting with necessary modification of activities.	7
	ALC: N
D. Surgical excision of disc with fusion, activities of lifting moderately modified.	15
E. Surgical excision of disc with fusion, persisten pain and stiffness aggravated by heavy lift ing, necessitating modification of all activi- ties requiring heavy lifting.	*
Non-Traumatic Lesions	
Scoliesis	4

The whole Spine has been given rating of 100 per cent and regionwise the following percentages are given:

Dorsal Spine—50 per cent Lumbar Spine—30 per cent Cervical Spine—20 per cent Kobb's method for measurement of angle of curve in standing position is to be used. The curves have been divided into three sub groups.

		Cervical Spine	Thoracic Spine	Lumbar Spine
1	Less than 30" (Mild)	2%	5%	5%
	31°→60° (Moderate)	3%	15%	12%
	Above 60° (Severe)	5%	25%	33 %

In the curves ranging above 60 degree, cardiopulmonary complications are to be graded separately. The junctional curves are to be given that rating depending upon level of apex of curve. For example, if apex of dorso-lumbar curve falls in the dorsal spine the curve can be taken as a dorsal curve. When the scoliosis is adequately compensated, 5 per cent reduction is to be given from final rating (for all assessment primary curves are considered for rating).

#### Kyphosis

The same total rating (100 per cent) as that suggested for scoliosis is to be given for kyphosis. Region-wise percentages of physical impairment are:

Dorsal .	50 per cent
Cervical Spine	30 per cent
Lumbar Spine	20 per cent

For dorsal spine the following further grading are:

Less than 20 degree	10 per cent		
21 degree-40 degree	15 per cent		
41 degree-60 degree	20 per cent		
Above 60 degree	25 per cent		

For kyphosis of lumbar and cervical spine 5 per cent and 7 per cent respectively have been allocated.

Paralysis of Flexors and Extensors of Dorsal and Lumbar Spine.

The motor power of these muscles to be grouped as follows:—

Normal			-	552
Weak		5	per	cent
Paralysed		10	per	cent

Paralysis of Muscles of Cervical Spine

For cervical spine the rating of motor power is as follows:

	Normal	Weak	Paralysed
Flexors	0	5%	10%
Extensors	0	5%	10%
Rotators	0	5%	10%
Side bending	0	5%	10%

# Miscellaneous

Those conditions of the spine which cause stiffness and paid etc., are rated as follows:

-		% physical impairment
A.	Subjective symptoms of pain. No involun- tary muscle spasm. Not substantiated by demonstrable structural pathology.	0.00
В.	Pain, Persistent muscle spasmand stiffness of spine, substantiated by demonstrable mild radiological charges.	0%
C.	Same as B, with moderate radiological changes.	10%
D.	Same as B, with severe radiological changes involving and one of the region of spine (cervical, dorsal or lumbar).	15%
Ε.	Same as D, involving whole spine.	20 % 30 %
In	kypho-scoliosis both current to	303

In kypho-scoliosis, both curves to be assessed separately and then percentage of disnoffly to be summed.

Guidelines for Evaluation of Permanent Physical Impairment in Amputees

# Basic Guidelines

- In case of multiple amputees, if the total sum of percentage permanent physical impairment is above 100 per cent, it should be taken as 100 per cent.
- Amputation at any level with uncorrectable inability to wear and use prosthesis, should be given 100 per cent permanent physical impairment.
- 3. In case of amputation in more than one limb percentage of each limb is counted and another 10 per cent will be added, but when only toes or fingers are involved only another 5 per cent will be added.
- Any complication in form of stiffness, neuroma, infection etc. has to be given a total of 10 per cent additional weightage.
- Dominant upper limb has been given 4 per cent extra percentage.

# Upper Limb Amputations

Phy	Per cent Permanent sical Impairment and of physical function
1. Fore-quarter amputation	of each limb
	100 per cent
<ol><li>Shoulder Disarticulation</li></ol>	90 per cent
3. Above Elbow upto upper of arm	1 3 85 per cent
Above Elbow upto lower     1 3 of arm     Elbow disarticulation	80 per cent 75 per cent
6. Below Elbow upto upper 13 of forearm	70 per cent
7. Below Elbow upto lower 1 3 of forearm	65 per cent

8. Wrist disarticulation	60 per cent
9. Hand through carpal bones	55 per cent

10. Thumb through C.M. or through 1st MC Joint 30 per cent

11. Thumb disarticulation through metacarpophalangeal Joint or through proximal phalanx 25 per cent

12. Thumb disarticulation through inter phalangeal Joint or through distal phalanx. 15 per cent

-ious phaianx.			15 per cent		
	Index Finger (15%)	Middle Finger (5%)	Ring Finger (3%)	Lit Fin (2%	
13. Amputation through proximal phalanx of disarticulation from MP joint	r	5%	3%	2%	
14. Amputation through middle phalanx or disarticulation through PIPi oint.	gh	4%	2%	1%	
15. Amputatio through distal phaianz er disarticula-		2%	1%	1%	
tion throug DIP joint.			*	*1	

Lower Limb Amputations	
I. Hind quarter	St. 1121
2. Nip disarticulation	100 per cent
	90 per cent
3. Above knee upto upper 1 3 of thigh	9.5
4. Above knee upto lower 1,3	85 per cent
of thigh	
	80 per cent
5. Through knee	75 per cent
6. B. K. upto 8 cm	70 per cent
7. B. K. upto lower 1/3 of leg	60 per cent
8. Through Ankle	55 per cent
9. Syme's	50 per cent
10. Upto mid-foot	40 per cent
11. Upto fore-foot	
12. All toes	30 per cent
13. Loss of first toe	20 per cent
	10 per cenr
14. Loss of second toe	5 per cent
15. Loss of third toe	4 per cent
16. Loss of fourth toe	3 per cent
17. Loss of fifth toe	2 per cent

Guidelines for Assessment of Physical Impairment in Neurological Conditions

- Assessment in neurological conditions is not the assessment of disease but it is the assessment of the effects, i.e. clinical manifestations,
- Any neurological assessment has to be done after six months of onset.
- 3. These guidelines will only be used for Central and upper motor neurone lesions.
- 4. Proforma A & B will be utilized for assessment of lower motor neurone lesions, muscular disorders and other locomotor conditions,
- 5. Total percentage of physical impairment in neurological conditions will not exceed 100 per cent.
- 6. In the mixed cases the highest score will be taken into consideration. The lower score will be added to it and calculations will be done by the formula:

$$a + \frac{b(100-a)}{100}$$

- 7. Additional rating of 4 per cent will be given for dominant upper extremity.
- 8. Additional 10 per cent has been given for sensation in each extremity, but the maximum total physical impairment will not exceed 100 per cent.

#### Motor System Disability

	Disability Rat
Monoparesis	25 per cent
Monoplegia Hemipares <sub>18</sub>	} 50 per cent
Paraparesis	75 per cent
Paraplegia	100 per cent
Hemiplegia Quadriparesis	} 75 per cent
Quadriplegia	100 per cent

Sensory System Disability
Disability Rate

Aneesthesia
Rypoaesthesia
Paraesthesia

Fach Limb 10 per cent

## FOR INVOLVEMENT

for involvement of hand hands 25 per cent foot feet

Guidelines for Assessment of Physical Impairment in Neurological Conditions

- Assessment in neurological conditions is not the assessment of disease but it is the assessment of the effects, i.e. clinical manifestation.
- 2. Any neurological assessment has to be done after six months of on set.
- 3. These guidelines will only be used for Central and upper motor neurone lesions,
- 4. Proforma A & B will be utilized for assessment of lower motor neurone lesions, muscular disorders and other locomotor conditions.

- 5. Total percentage of physical impairment in neurological conditions will not exceed 100 per cent.
- In the mixed cases the highest score will be taken into consideration. The lower score will be added to it and calculations will be done by the formula;

$$a + \frac{b(100-a)}{100}$$

- Additional rating of 4 per cent will be given for dominant upper extremity.
- Additional 10 per cent has given for sensation in each extremity, but the maximum total physical impairment will not exceed 100 per cent.

#### Speech disability

	Disability Rate
Mild	25 per cent
Moderate	50 per cent
Severe	75 per cent
Very Severe	100 per cent

Tested by a 100 word text. Ability to read (in educated), comprehend when read out, answer question on text clearly and ability to write a synopsis (in educated).

Guidelines for Evaluation of Physical Impairment due to Cardio Pulmonary Diseases

#### Basic Guideline

- 1. Modified New York Heart Association subjective classification should be utilised to assess the functional disability.
- The physician should be alert to the fact that patients who come for disability claims are likely to exaggregate their symptoms. In case of any doubt patients should be referred for detailed physiological evaluation.
- Disability evaluation of cardiopulmonary patients should be done after full medical, surgical and rehabilitative treatment available, because most of these diseases are potentially treatable.
- 4. Assessment of a cardiopulmonary impairment should also be done in diseases which might have associated cardiopulmonary problems, e.g. amputees, myopathies etc.

The proposed modified classification is as follows:—

- Group 0: A patient with cardiopulmonary disease who is a symptomatic (i.e. has no symptems of breath-lessness palpitation, fatigue or chest pain).
- Group 1: A patient with cardiopulmonary disease who becomes symptomatic during his ordinary physical activity but has mild restriction (25 per cent) of his ordinary physical activities.
- Group 2: A patient with cardiopulmonary disease who becomes symptomatic during his ordinary physical activity and has 25-50 per cent restriction of his ordinary physical activity.

# Annexure-V

# Mental Disorders

Source: Glossary and guide to their classification.

A publication by W.H.O.

A publication by W.H.O.

"MENTAL RETARDATION". A condition of arrested or incomplete development of mind which is especially characterized by subnormality of intelligence. The coding should be made on the individual's current level of functioning without regard to its nature of causation-such as psychosis, cultural deprivation. Down's syndrome etc., where there is a specific cognitive handicap—such as in speech—the four digit coding should be based on assessments of cognition outside the area of specific handicap. The assessment of intellectual level should be based on whatever information is available, including clinical evidence, adaptive behaviour and psychometric findings. The IQ levels given are based on a test with a mean of 100 and a standard deviation of 15—such as the Wechsle scales. They are provided only as a guide and should not be applied rigidly. Mental retardation often involves psychiatric disturbances

and may often develop as a result of some physical disease or injury. In these cases, an additional code or codes should be used to identity and associated condition, psychiatric or physical. The impairment and Handicap codes should also be consulted.

- (b) MILD MENTAL RETARDATION
  Feeble-minded Moron
  High Grade defect 1Q 50-70
  Mild mental subnormality
- (c) OTHER SPECIFIED MENTAL RETARDATION
  - (i) Moderate mental retardation Imbecile IQ 35-49—Moderate mental subnormality
  - (ii) Severe mental retardation IQ 20-34-—Severe mental subnormality
  - (iii) Profound mental retardation Idiocy IQ under 20—Profound mental subnormality.
- (d) UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION Mental deficiency NOS Mental subnormality NOS.

# The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड ३-- उप-खण्ड (i) PART II--Section 3 --Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

₹ 352 ] No. 352] नई दिल्ली, मंगलबार, अगस्त 29, 1995/ भाद 7, 1917 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 1995/BHADRA 7, 1917

# कल्याण मंत्रालय

# शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1995

सा॰का॰ नि॰ 604( अ ).—भारत के राजपत्र, भाग II , खण्ड ३, उप-खण्ड (i) दिनांक ३१ मार्च, १९९५ में प्रकाशित कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ ३१६(अ) दिनांक ३१ मार्च, १९९५ में निम्नलिखित संशोधन किए गए :—

उस•	खंड	उप-खंड	पंवित	के स्थान पर	पढ़ें
	2(ज)	_	24	**	
	4	(1)	11	मदों के	पदों के
	10	-	313	विए जाएं	विए जाएंगे
	11	(3)	4	जिम्मेदारी	जिम्मेदार
	11:	(3)	3	महला	महिला
	12	(5)	2	महला या अवयव	महिला या अवयस्क
	12	(6)	3	अत्याचार पीडित	अत्याचार से पीडित
	14	_	7	नियमों की	नियमों से
	उपाबंध-1 अनुसूचि			अधियोजन के कार्यपालक	अभियोजक के कार्यपालक
	क्रम संख्या 7 कालम 3		9	20,0000 रुपये	20,000 रुपये
	उपाबंध-1 क्रम संख्या-10		2	25 2022>	(बीस हजार रुपये)
	का कालम-3		2	25,0000 रुपये	25,000 रुपये
7	उपाबंध । करम सं॰ 17		3	6.6.6	(पच्चीस हजार रुपये)
	का कालम 3			विशिष्टि १ अन्यथा	विशिष्ट रूप से अन्यथा

पृष्ठ सं॰	खंड	उप-खंड	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें	
9	उपाबंध 1 क्रम सं॰ 19		4	अनुबंध 2	उपार्बध-2	
9	उपाबंध 1 क्रम सं॰ 19		1	2,00,0000 रुपय	2,00,000 रुपये	
	का कालम-3 (क) (11	)			दो लाख रुपये	
9	उपाबंध 1 क्रम सं॰ 19		4	कमाने याले	कमाने वाले	
	का (ख)					
10	प्रथम पंक्ति 5	-	-	अनुबंध-2	उपाबंध-2	
10	पैरा-2	(4.23)		— अनुबंध-1	उपाबंध-1	
	अतिम पंक्ति					
10	पैस 7	-		अनुबंध	उपाबंध	
	अंतिम पंक्ति			100 MIN		
16	2 <del>=</del>	-	-	6	16	

[फाइल संख्या 11012/1/89 पी॰सी॰आर॰ (डेस्क)] गंगा दास, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF WELFARE

# CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th August, 1995

G.S.R. 604(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Welfare No. G.S.R. 316(E), dated the 31st March, 1995, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India G.S.R. 316(E), dated the 31st March, 1995 the following corrections are made.

Page	Para/Sub-Para	Line	For	Read
24	2(c)	5	Victim of	Delete
24	2(d)	5	1866 (21 of 1960)	1860 (21 of 1860)
25	4(3)	3	best of the ability	best of his ability
25	6	1	Spol	Spot
25	8(1)	3	Director of Police	Director General of Police
26	11(1)	4	his/hee	his/her
26	13(1)	1	ensured	ensure
26	13(1)	2	o be	to be
26	13(1)	6	posts and police station	Omit posts and police station
27	15(1)	5	officers a different	officers at different
27	18	2	every before	every year before
28	16	1	(Section 3(2) (1) and (ii)	(Section 3(2)(i) and (ii)
28	17	3	(Section 3(2))	(Section 3(2)(v))
32	Annexure-I 3	6	Shahti	Shakti
32	4	4	Shuhla	Shukla
32	5	1	Venhataswami	Venkataswamy
32	Last line	5	Shahti	Shakti
33		29	Shahti	Shakti

[F. No. 11012/1/89-PCR (Desk)] GANGA DAS, Jt. Secy.